31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं

तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, शिमला

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं

तथा शहरी स्थानीय निकायों

पर

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

हिमाचल प्रदेश, शिमला

अनुक्रमणिका

विवरण	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		iii
विहंगावलोकन		v
भाग-क **पंचायती राज संस्थाएं**		
अध्याय-1 **पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा**		
पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि	1.1	1
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश	1.2	1
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढ़ांचा	1.3	1
वित्तीय रूपरेखा	1.4	3
पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली	1.5	5
पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	1.6	5
पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	1.7	6
तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	1.8	6
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.9	7
अनुपालना हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा परिच्छेद	1.10	7
अध्याय-2 **पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम**		
लेखा-पद्धति	2.1	9
राजस्व	2.2	11
निधियों का अवरोधन	2.3	12
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वेतन का संदेहास्पद/दो बार भुगतान	2.4	16
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अन्तर्गत मजदूरियों की अवमुक्ति में विलम्ब	2.5	16
संदेहास्पद व्यय	2.6	17
अस्थायी अग्रिमों का गैर-समायोजन	2.7	17
भाग-ख **शहरी स्थानीय निकाय**		
अध्याय-3 **शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा**		
पृष्ठभूमि	3.1	19
लेखापरीक्षा अधिदेश	3.2	19
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढ़ांचा	3.3	19
वित्तीय रूपरेखा	3.4	20
शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढ़ांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)	3.5	21
शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक तथा आंतरिक लेखापरीक्षा	3.6	22

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता	3.7	22
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	3.8	23
अनुपालना हेतु लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां	3.9	23
अध्याय-4 **शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम**		
लेखाकरण पद्धति	4.1	25
बजट आकलन	4.2	25
बैंक मिलान विवरणियां तैयार न करना	4.3	25
सामग्रियों का गैर-लेखाकरण	4.4	26
राजस्व	4.5	26
निधियों का अवरोधन	4.6	29
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	4.7	31

परिशिष्ट

विवरण	**परिशिष्ट संख्या**	**पृष्ठ संख्या**
संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध कार्यक्रमों का विवरण	1	33
पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए 15 लाइन विभागों का ब्यौरा	2	34
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय का विवरण	3	35
वर्ष 2015-16 के दौरान पंचायती राज संस्था सॉफ्ट में अपलोड की गई ग्राम-पंचायतें तथा नमूना-जांच द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्ति आंकड़ों व व्यय के मध्य अंतर	4	39
पंचायती राज सॉफ्ट में रोकड़ बही का गैर अनुरक्षण तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका पर परिसम्पत्तियों का गैर रख-रखाव	5	42
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	6	44
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	7	46
भौतिक सत्यापन का गैर-संचालन	8	48
सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा सामग्रियों के गैर-लेखांकन का ब्यौरा	9	50
सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की अवसूली का ब्यौरा	10	51
दुकानों के बकाया किराए का ब्यौरा	11	53
ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मोबाईल टावर के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का ब्यौरा	12	54
निर्माण कार्यों को आरम्भ न किए जाने के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	13	55
निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	14	56
13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	15	57
14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का ब्यौरा	16	59
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भुगतानों की अवमुक्ति में विलम्ब का ब्यौरा	17	61
2013-16 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय की विवरणी	18	62
नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के सम्बंध में बकाया गृहकर का ब्यौरा	19	65
2015-16 की अवधि के दौरान दुकानों/बूथों/स्टालों में किराए की अवसूली का ब्यौरा	20	66
शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र के अंतर्गत मोबाईल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का ब्यौरा	21	66
जनवरी 2017 तक अधिकारियों को दिए गए बकाया अग्रिमों के बयानों का ब्यौरा, जिन्हें समायोजित या पुनिर्नमित नहीं किया गया	22	68

प्रस्तावना

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु यह प्रतिवेदन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्तियां व सेवा-शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अनुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सम्बद्ध विभागों सहित पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

वर्ष 2016-17 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में संज्ञान में आए लेकिन विगत प्रतिवेदनों में स्थान न पा सके प्रकरणों को भी यथावश्यक रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन दो भागों में है और इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय-1 एवं अध्याय-2 पंचायती राज संस्थाओं से और अध्याय-3 एवं अध्याय-4 शहरी स्थानीय निकायों से सम्बंधित हैं। इस विहंगावलोकन में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सार दिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं की रूप-रेखा

73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। राज्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधियों तथा कर्मचारियों सहित संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 कार्य सुपुर्द किये जाने थे।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1994 में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित किया राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 15 लाईन विभागों से सम्बंधित कार्यभार सौंपे गए है। हिमाचल प्रदेश राज्य में 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां तथा 3,243 ग्राम पंचायतें हैं।

(अध्याय-1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान छः जिला परिषदों, छः पंचायत समितियों और 128 ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा संचालित की गई। पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा से निम्नवत् उजागर हुआ: (क) लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए तथा पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड किए गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मध्य अंतर; (ख) पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट के माध्यम से लेखापरीक्षा का अनुरक्षण न करना; (ग) राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका का अनुरक्षण न करना; (घ) पंजिकाओं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका, अस्थाई अग्रिम पंजिका, अनुदान पंजिका, चैक जारी करना व प्राप्ति पंजिका, इत्यादि; (ङ) स्व-संसाधनों तथा अनुदानों/ऋणों से आय के लेखों का अनुचित अनुरक्षण; (च) बैंक स्टेटमेंट के साथ शेष का गैर-सामंजस्य; (छ) भौतिक सत्यापन संचालित न करना; तथा (ज) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्टॉक पंजिका में सामग्रियों की गणना न करना।

78 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2015-16 में ₹ 22.80 लाख के गृहकर की वसूली नहीं की थी। 15 पंचायती राज संस्थाएं दुकानों के किराया प्रभारों के आधार पर ₹ 11.31 लाख की राशि की वसूली करने में विफल रहीं। 42 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों के आधार पर ₹ 12.25 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई। वर्ष 2013-16 के दौरान दो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बजट आकलन तैयार/पारित किए बिना ₹ 68.71 लाख का व्यय किया गया था। 28 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किए जाने के कारण ₹ 74.97 लाख की निधियां अव्ययित रहीं। 33 पंचायती राज संस्थाओं में निमार्ण कार्यों की अपूर्णता के कारण ₹ 1.44 करोड़ की निधियां अव्ययित रहीं। 51 पंचायती राज संस्थाओं में 13वें वित्त आयोग से ₹ 11.96 करोड़ की निधियां निर्माण कार्यों को आरम्भ नहीं किए जाने, अपूर्ण कार्यों तथा निधियों को अवमुक्त नहीं करने के कारण अव्ययित रहीं। 58 पंचायती राज संस्थाओं में 14वें वित्त आयोग से ₹ 4.41 करोड़ की निधियां निर्माण कर्यों को आरम्भ न किए जाने, अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण अप्रयुक्त रहीं। तीन पंचायत समितियों के पर्सनल लेजर खाते में लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु चिह्नित ₹ 6.16 लाख की निधियां अव्ययित रहीं। एक ग्राम पंचायत में निर्मल भारत अभियान से प्राप्त ₹ 6.09 लाख की निधियां अव्ययित रही। एक ग्राम पंचायत में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए निर्धारित ₹ 0.20 लाख की निधियां अव्ययित रही। छः ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में विभन्न निर्माण कार्यों हेतु एक जैसे उन्हीं मजदूरों की नियुक्ति की। दो ग्राम पंचायतों में नौ मजदूरों को मस्टर रोल पूर्ण किए बगैर ₹ 0.31 लाख राशि की मजदूरी के भुगतान पर व्यय की। चार ग्राम पंचायतों ने बिना दस्तावेजी प्रमाण के 15 मजदूरों को ₹ 0.21 लाख की मजदूरी का भुगतान किया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन, मजदूरों को ₹ 1.18 करोड़ का मजदूरी भुगतान, एक से 178 दिनों की अवधि तक विलम्बित किए जाने से प्रमाणित हुआ था। ग्राम पंचायत बरतो में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना के तहत निमार्ण कार्यों

में ₹ 0.19 लाख राशि का संदेहास्पद व्यय किया गया। दो ग्राम पंचायतों में ₹ 0.50 लाख राशि का अस्थाई अग्रिम एक से 31 वर्षें की अवधि के लिए बकाया रहा।

(अध्याय-2)

शहरी स्थानीय निकायों की रूप-रेखा

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शक्ति के विकेन्द्रीकरण और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों एवं कर्मचारियों सहित संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया।

हिमाचल प्रदेश में, शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य हस्तांतरित किए गए थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने, शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियां तथा जिम्मेदारियां हस्तांतरित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगरीय अधिनियम,1994 अधिनियमित किए। राज्य में दो नगरपालिकाएं, 30 नगर परिषदें तथा 22 नगर पंचायतें हैं।

(अध्याय-3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 के दौरान एक नगरपालिका, 11 नगर परिषदों और चार नगर पंचायतों में लेखापरीक्षा संचालित की गई। शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा से निम्नवत् उजागर हुआ: ((क) वार्षिक लेखे तैयार न करना; (ख) बजट आकलन तैयार न करना; (ग) बैंक स्टेटमेंट के साथ गैर-सामंजस्य; तथा (घ) सामग्रियों को लेखांकित न करना।

12 शहरी स्थानीय निकायों में, मार्च 2016 तक ₹ 8.11 करोड़ का गृहकर बकाया था। 16 शहरी स्थानीय निकाय दुकानों/बूथों/स्टालों से ₹ 7.30 करोड़ राशि के किराये की वसूली करने में विफल रहे। 15 शहरी स्थानीय निकायों की मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 34.06 लाख की राजस्व हानि हुई। चार नगर परिषदों की सफाई/स्वच्छता कर, रेहड़ी/तहबाजारी शुल्क व व्यापार कर के संग्रहण में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 53.84 लाख की राजस्व हानि हुई। नगर निगम शिमला में दुकानों तथा स्टालों की पट्टा राशि से ₹ 53.64 लाख के राजस्व का अवरोधन हुआ। पट्टेदारों से ₹ 1.77 करोड़ का सम्पत्ति कर संग्रहित न करने के कारण नगर निगम शिमला को अपने हिस्से के राजस्व की हानि हुई, 10 शहरी स्थानीय निकायों में 93 विकास कार्यों को आरम्भ नहीं किये जाने और अधूरे कार्यों के कारण ₹ 4.39 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ था। नगर परिषद श्री नैना देवी जी में 13वें वित्त आयोग की ₹ 93.23 लाख की राशि निर्माण कार्यों के आरम्भ न होने के कारण अप्रयुक्त रही। नगर पंचायत दौलतपुर चौक (जिला ऊना) में 14वें वित्त आयोग की ₹ 11.52 लाख की राशि अव्ययित रही। तीन शहरी स्थानीय निकायों में सीवरेज परियोजनाओं हेतु निर्धारित ₹ 1.80 करोड़ की निधियां अव्ययित रही। तीन नगर परिषदों में 1988-89 से 2016-17 के दौरान ₹ 18.24 लाख राशि का अस्थाई अग्रिम, पिछले अग्रिमों के समायोजना के बगैर संस्वीकृत किया गया।

(अध्याय- 4)

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

भाग-क
पंचायती राज संस्थान

अध्याय-1

पंचायती राज संस्थाओं की रूपरेखा

1.1 पंचायती राज संस्थाओं की पृष्ठभूमि

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और नियमित चुनावों तथा वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के प्रवाह सहित ग्रामीण स्तर पर स्व-शासित संस्थाओं का एक समान ढ़ांचा स्थापित किया। राज्यों से इन निकायों को निधियां, कार्य तथा कर्मचारियों का सुपुर्द किया जाना अपेक्षित था ताकि इनको स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम किया जाये। पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 (**परिशिष्ट-1**) कार्यों सहित निधियां एवं कर्मचारी सुपुर्द किए जाने थे। पंचायती राज संस्थाओं से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु योजनाएं तैयार करना एवं परियोजनाएं क्रियान्वित करना अपेक्षित था विशेष कर उन कार्यों के लिए जो संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया और इन संस्थाओं को सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 एवं हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कार्य, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 तैयार की, 19 अक्तूबर 2009 की अधिसूचना क्रमांक पी0सी0एच0-एच0ए0 (3) 9/2006 के अंतर्गत 15 लाईन विभागों को निधियां, कार्य तथा कर्मचारियों की सुपुर्दगी के लिए गतिविधि नक्शा विकसित करना (तैयार करना) चिह्नित था। 15 लाईन विभागों से (**परिशिष्ट-II**) सम्बंधित सभी 29 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए लेकिन पंचायती राज संस्थाओं[1] को इसके अनुरूप निधियां एवं कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

1.2 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा के परिणाम वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित होते हैं जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के अनुसार राज्य विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना होता है।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढ़ांचा

राज्य में मार्च 2016 तक 12 जिला परिषदें, 78 पंचायत समितियां और 3,243 ग्राम पंचायतें हैं। नीचे दिया गया चार्ट जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं के संगठनात्मक ढ़ांचे को दिखाता है।

---
[1] पंचायती राज, निदेशक ने बताया (जुलाई 2016)।

संगठनात्मक ढ़ांचा

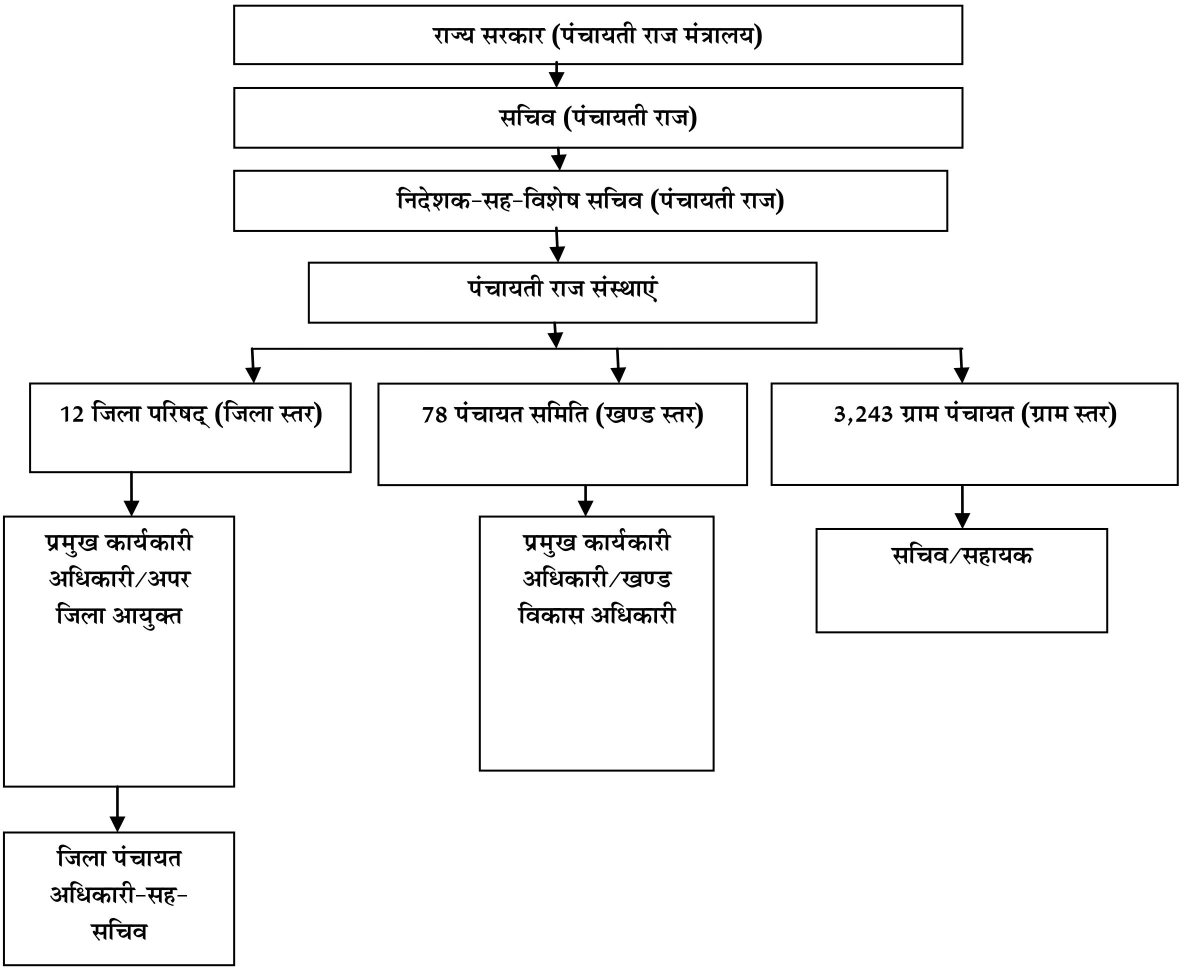

जिला परिषदों एवं पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के प्रधान निर्वाचित सदस्य होते हैं और क्रमश: जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों की अध्यक्षता करते हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों से जिला परिषदों की मासिक बैठकों में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाती है।

1.3.1 स्थायी समितियां

पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न स्थायी समितियां और उनकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व **तालिका 1** में दिये गये हैं।

तालिका-1: स्थायी समितियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
जिला परिषद	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों, संचार, आदि से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		वित्त, लेखापरीक्षा एवं आयोजना	जिला परिषद के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों का निष्पादन करती है।
		शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति	राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय एवं राज्य योजनाओं के ढ़ांचे के अंतर्गत जिले में शिक्षा आयोजना का उत्तरदायित्व लेती है।
		कृषि और उद्योग समिति	कृषि से सम्बंधित कार्य निष्पादन करती है।

पंचायती राज संस्थाओं का स्तर	स्थायी समिति का अध्यक्ष	स्थायी समितियों का नाम	स्थायी समिति की भूमिका एवं उत्तरदायित्व
पंचायत समिति	अध्यक्ष	सामान्य स्थायी समिति	स्थापना मामलों से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		वित्त, लेखापरीक्षा और आयोजना	पंचायत समिति के वित्त से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़ा वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों को बढ़ावा देने जैसे कार्यों का निष्पादन करती है।
ग्राम पंचायत	*प्रधान या उप-प्रधान*	निर्माण कार्य समिति	ग्राम पंचायतों के समस्त विकासात्मक निर्माण कार्य इस समिति द्वारा निष्पादित किए जाते हैं।
		बजट समिति	ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करती है और इसे सचिव को प्रस्तुत करती है।

1.3.2 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत प्रबंध

पंचायती राज संस्थाओं में तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कर्मी होते है। मार्च 2017 तक विभिन्न संवर्गों के 9,572 स्वीकृत पदों (2,068 नियमित कर्मी+7,504 संविदा कर्मी) के प्रति 9,496 कर्मचारी (2,068 नियमित+7,428 संविदा कर्मी) पदों पर थे तथा 76 पद (14 कनिष्ठ अभियंता और 62 पंचायत सचिव) रिक्त थे। सभी 2,954 पंचायत सचिवों को उनकी नियुक्ति के पश्चात 45 दिनों का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया गया। तत्पश्चात, 2016-17 के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा 268 पंचायत सचिवों और सहायकों को ई-पंचायत एप्लीकेशन पर बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दिए गए थे।

1.4 वित्तीय रूपरेखा

1.4.1 पंचायती राज संस्थाओं को निधि प्रवाह

निधि प्रवाह: पंचायती राज संस्थाओं में निधियों का स्रोत और अभिरक्षण

विकास गतिविधियों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पंचायती राज संस्थाओं के स्रोत का आधार राज्य वित्त आयोग अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य सरकार अनुदान और केन्द्र सरकार अनुदान हैं। पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आवंटित निधियां बैंकों में रखी जाती हैं।

यद्यपि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं के निष्पादन के लिए केन्द्रीय व राज्य अनुदान प्रयुक्त किये जाते हैं, तथापि पंचायती राज संस्थाओं की अपनी प्राप्तियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं/निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए निधि प्रवाह प्रबंध **तालिका 2** में दिया गया है।

तालिका-2: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में निधि प्रवाह प्रबंध

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परियोजना (मनरेगा)	भारत सरकार और राज्य सरकार मनरेगा निधियों का अपना-अपना अंश राज्य रोजगार गारंटी निधि नामक बैंक खाते में हस्तांतरित करवाते हैं जो राज्य लेखा से बाहर होता है। मण्डलीय उपायुक्त, राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी इस राज्य रोजगार गारंटी निधि का अभिरक्षक होता है और राज्य रोजगार गारंटी निधि से सीधे लाभार्थी खाते में निधियों के हस्तांतरण को प्राधिकृत करता है।
2.	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण	स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निधियां ग्रामीण विकास विभाग को अवमुक्त की जाती हैं। ग्रामीण विकास विभाग जिला योजनाओं, जिले में मांग की अधिकता, व्यय पैटर्न एवं शेष निधियों के आधार पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को निधियां अवमुक्त करता है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण खंड विकास अधिकारियों को निधियां अवमुक्त करते हैं जो आगे निधियां विभिन्न गतिविधियां आरम्भ करने हेतु ग्राम पंचायतों में वितरित करते हैं।

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
3.	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम	एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना है जिसका निधियन भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में लागत को बांटकर किया जाता है। नोडल मंत्रालय (ग्रामीण विकास मंत्रालय)/ विभाग (भू-संसाधन विभाग) उन परियोजनाओं को छोड़कर जहां राज्यों के पास जलागम तथा अन्य परियोजनाओं के मध्य निधियों का आवंटन करने का अधिकार है निर्धारित मापदण्ड तथा राज्य के विगत निष्पादन (भौतिक एवं वित्तीय) अर्थात अव्ययित शेष, बकाया प्रयुक्ति प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण परियोजनाओं में से पूर्ण परियोजनाओं की प्रतिशतता, इत्यादि, को ध्यान में रखते हुए राज्यों के बीच परियोजनाओं हेतु बजटीय परिव्यय का आवंटन करता है। राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण निर्धारित मापदंड को ध्यान में रखकर जिलों को निधियों का आवंटन करते हैं।
4.	इंदिरा आवास योजना	इंदिरा आवास योजना एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना है जोकि भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य 75:25 के अनुपात में लागत विभाजन के आधार पर वित्तपोषित है। निधियां ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को हस्तांतरित की जाती हैं जो इन निधियों के अभिरक्षक हैं। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, निधियां, खंड, विकास अधिकारियों को अवमुक्त करते हैं जो आगे उनको ग्राम पंचायतों को अवमुक्त करते हैं। आगे, ग्राम पंचायतें निधियों को सीधे लाभार्थियों के खातों में दो किस्तों में हस्तांतरित करती हैं। दूसरी किस्त लिंटल स्तर तक निर्माण होने के बाद जारी की जाती है।
5.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जो सभी राज्यों में कार्यान्वित है। परियोजना की कुल लागत केन्द्र तथा राज्य के मध्य 75:25 के अनुपात में विभाजित की जाती है।
6.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारित योजना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार तकनीकी सहयोग एजेसियां जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था व पंचायती राज तथा प्रोजेक्ट कार्यान्वयन समितियां सम्मिलित होते हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राज्य में योजना के उचित क्रियान्वयन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य स्तरीय कौशल विकास योजना निधियां प्रदान कर प्रमुख भूमिका निभाती है। जिसमें केन्द्र और राज्य सरकार का हिस्सा 90:10 का होता है।

1.4.2 संसाधन: प्रवृत्तियां एवं संयोजन

वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों का ब्यौरा **तालिका-3** में दिया गया है।

तालिका-3: पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
स्व-राजस्व	82.55	92.35	105.32	96.50	88.33
राज्य तथा केन्द्र सरकार सरकार वित्त आयोग से अनुदान	201.56	283.62	309.95	360.18	515.83
केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के लिए भारत सरकार से अनुदान	488.57	163.68	511.86	403.36	659.99
राज्य परियोजना के लिए राज्य सरकार से अनुदान	15.80	15.97	17.99	23.64	48.18
अन्य प्राप्तियां	1.00	0.67	0.25	0.42	0.48
योग	**789.48**	**556.29**	**945.37**	**884.10**	**1,312.81**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश तथा आर्थिक सलाहकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हिमाचल प्रदेश।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निदेशालय द्वारा वर्ष 2012-13 से पंचायती राज संस्थाओं के स्व-राजस्व से सम्बंधित आंकड़े अनुरक्षित नहीं किये गए। विभाग ने बताया (अप्रैल 2016) कि पंचायती राज संस्थाओं के स्व-राजस्व से सम्बंधित आंकड़े संकलित नहीं किये गए हैं क्योंकि अब इनका संकलन आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। अत: आंकड़े आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्राप्त किए गए हैं।

1.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोग: प्रवृत्ति एवं संयोजन

वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के संसाधनों (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदत्त निधियों में से पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्था को दिया गया धन तथा पंचायती राज संस्था द्वारा खर्च की गई धन राशि) के अनुप्रयोग का विवरण **तालिका-4** में दिया गया है।

तालिका-4: क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राज्य सरकार (राज्य वित्त आयोग) और केन्द्र सरकार (केन्द्रीय वित्त आयोग) के वित्त आयोग अनुदान से व्यय	202.52	284.29	244.74	307.57	439.37
केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना पर व्यय	544.51	161.86	547.24	516.11	711.72
राज्य परियोजनाओं पर व्यय	16.26	14.31	17.65	19.02	35.41
योग	**763.29**	**460.46**	**809.63**	**842.70**	**1,186.50**

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।

वर्ष 2013-14 से 2015-16 की अवधि के 140 नमूना जांच की गई लिए पंचायती राज संस्थाओं में उपयोग की गई निधियां 75 और 78 *प्रतिशत्* के मध्य रही जो कि **तालिका-5** में दर्शाई गई है।

तालिका-5: नमूना जांच की गई पंचाती राज संस्थाओं में निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति	व्यय
2013-14	97.78	75.92 (78)
2014-15	103.57	77.76 (75)
2015-16	126.79	97.61 (77)

स्रोत- नमूना जांच की गई पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त आँकड़े

1.5 पंचायती राज संस्थाओं में लेखा प्रणाली

पंचायती राज संस्थाएं अपने लेखाओं का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियमावली, 1997 के अंतर्गत निर्धारित प्रोफार्मा में करती हैं। ग्राम पंचायतों के लेखे, निदेशक-एवं-विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा नियुक्त पंचायत सचिव तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकारी-एवं-खंड विकास अधिकारी द्वारा अनुबंध आधार पर नियुक्त पंचायत सहायक द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं। पंचायत समितियों के मामले में विकास खंडों के लेखाकार लेखे अनुरक्षित करते हैं। जिला परिषदों के लेखे जिला पंचायत अधिकारी-एवं-सचिव, जिला परिषद द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के लेखाओं के अनुरक्षण पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण रखे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार ने 2009 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु आदर्श लेखाकरण संरचना की अनुशंसा की थी । राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में आदर्श लेखाकरण संरचना के अनुसार लेखाओं के अनुरक्षण हेतु पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विकसित पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट नामक सॉफ्टवेयर अपनाया गया था (अगस्त 2012)। उप-निदेशक (पंचायती राज संस्था) ने बताया (अक्तूबर 2017) कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुशंसा के आधार पर पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर लेखाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है।

1.6 पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग और उत्तरदायित्व की रूपरेखा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कुशल तथा प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, क्रियाविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर समयबद्धता तथा रिपोर्टिंग की गुणवत्ता अच्छे शासन की विशेषताएं हैं। अनुपालना तथा नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं क्रियाशील है तो पंचायती राज संस्थाओं और राज्य

सरकार को नीतिगत योजना, निर्णय क्षमता तथा हित-साधकों के प्रति उत्तरदायित्व से युक्त इसके आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्व के निर्वाह में सहायक होते हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 में प्रावधान है कि पंचायती राज संस्थाओं से निर्धारित अभिलेख, पंजिकाएं, फार्म एवं लेखाओं का अनुरक्षण अपेक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पाई गई विसंगतियों पर अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

1.7 पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 के अनुसार स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओं की प्राथमिक लेखापरीक्षा संचालित करने का अधिकार दिया गया है, वर्ष 2016-17 के दौरान 286 पंचायती राज संस्थाओं की स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा लेखापरीक्षा की गई।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 की उपधारा(i) में यह भी प्रावधान है कि आय और व्यय पर उचित वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा हेतु निदेशक, पंचायती राज के नियंत्रण में एक अलग और स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा अभिकरण होगा। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान निदेशक, पंचायती राज के अंतर्गत लेखापरीक्षा संभाग द्वारा संचालित की गई आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति **तालिका-6** में दी गई है।

तालिका-6: वर्ष 2016-17 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षाओं की स्थिति

संस्था का नाम	कुल इकाईयां	लेखापरीक्षा हेतु कार्य योजना में शामिल इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	गैर लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी/आधिक्य का प्रतिशत
पंचायत समितियां	78	39	28	11	(-) 28
ग्राम पंचायत	3,243	1,622	1,666	--	(+) 03

स्रोत: निदेशक, पंचायती राज संस्था।

यह भी पाया गया कि निदेशक, पंचायती राज के अधीन लेखापरीक्षा संभाग ने किसी भी जिला परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई थी। उप-निदेशक (पंचायती राज) द्वारा (जुलाई 2018) कहा गया कि विभाग द्वारा जिला परिषदों की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने की योजना तय नहीं थी क्योंकि स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग; ने पहले ही सभी जिला परिषदों की लेखापरीक्षा संचालित कर ली थी। तथापि विभाग ने वर्ष 2018-19 में जिला परिषदों की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करना तय किया है।

1.8 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजनाओं, लेखापरीक्षा पद्धति एवं क्रिया विधि, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बंध में लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम-2007 की धारा 152-154 के अनुसार प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी है।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, पंचायती राज संस्था) से वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा योजनाएं प्राप्त की गई थी और इस कार्यालय में लेखापरीक्षा आयोजना की प्रक्रिया हेतु नोट की गई थीं।

प्राथमिक, लेखापरीक्षक (निदेशक, पंचायती राज संस्था) ने लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षा पद्धति तथा प्रक्रियाओं का पालन किया था जैसा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कार्य, कराधान एवं भत्ते) नियमावली, 2002 की धारा 80 में निर्धारित है।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिक लेखापरीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा से संचालित 07 निरीक्षण प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा समीक्षा की गई थी। निरीक्षण प्रतिवेदनों का मूल्यांकन किया गया था और सुधार तथा अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अनुशंसाएं की गई थीं। निम्नवत् अनुशंसाएं की गई थीं:

i. विगत तीन वर्षों की आय एवं व्यय को तालिका रूप में दर्शाया जाना।

ii. लेखापरीक्षा में आपत्तियां उठाते समय परच्छेदों में नियमों का संदर्भ दिया जाना।

iii. लेखापरीक्षिती इकाई को ऑडिट मेमों जारी किया जाना।

iv. लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सचिव, ग्राम पंचायत का उत्तर भी सम्मिलित किया जाना।

यह पाया गया कि स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग ने पिछले वर्ष के दौरान कार्य प्रगति हेतु पूर्ववत अनुशंसा की जबकी स्थाई कमियों के निवारण हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

विभाग द्वारा लेखा कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप दो-दो दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के 18 प्रतिभागियों को आठ और नौ दिसम्बर 2016 को प्रशिक्षण दिया गया, जिनके विषय थे: (i) वित्त, कर और दावे की वसूली में सम्बंधित सांविधिक व्यवस्थापन। (ii) पंचायती राज संस्थाओं की निधियां, उनके कार्य कार्य प्रणाली, अनुप्रयोग और पूंजी निवेश (iii) बजट, व्यय और भण्डार (iv) लेखापरीक्षा और निरीक्षण (v) पंचायती राज लोक कार्यों के नियम; और (vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का परिचय, और इसकी कार्य प्रणाली के नियम।

1.9 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2016-17 के दौरान 140 पंचायती राज संस्था इकाइयों की नमूना-जांच की गई थी और सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवेदन जारी किए गए थे। इनमें से छः जिला परिषदों (12 में से), छः पंचायत समितियों (78 में से) तथा 128 ग्राम पंचायतों (3,243 में से) **(परिशिष्ट-3)** को आवधिकता और व्यय के आधार पर चुना गया था। महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर **अध्याय-2** में चर्चा की गई है।

1.10 अनुपालना हेतु लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा परिच्छेद

तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप मार्च 2017 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को 15,292 परिच्छेदों से युक्त 2,294 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए थे। इनमें से मार्च 2017 तक चार निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 110 परिच्छेदों का निपटारा किया गया तथा 2,290 निरीक्षण प्रतिवेदन एवं 15,182 परिच्छेद अनुपालना हेतु लम्बित थे ब्यौरा **तालिका-7** में दिया गया है।

तालिका-7: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा परिच्छेद

(संख्या में)

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		वृद्धि (वर्ष के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिचछेदों की संख्या)		योग		2016-17 के दौरान निपटान किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2017 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2012-13 तक	1,752	11,226	---	---	1,752	11,226	2	65	1,750	11,161
2.	2013-14	147	970	---	---	147	970	1	16	146	954
3.	2014-15	100	724	---	---	100	724	1	13	99	711
4.	2015-16	155	1,331	---	---	155	1,331	0	5	155	1,326
5.	2016-17	---	---	140	1,041	140	1,041	0	11	140	1,030
	योग	**2,154**	**14,251**	**140**	**1,041**	**2,294**	**15,292**	**4**	**110**	**2,290**	**15,182**

बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के निपटान हेतु पंचायती राज संस्थाओं एवं पंचायती राज विभाग के साथ नियमित रूप से पत्राचार भी किया जा रहा था लेकिन इसके बावजूद बकाया परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है। बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों की बढ़ती प्रवृत्ति लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अनुपालना के प्रति अपर्याप्त कार्रवाई को इंगित करती है जो कि चिंता का विषय है।

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम

अध्याय-2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2016-17 में संचालित पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.1 लेखा-पद्धति

2.1.1 लेखा-पद्धति में पाई गई कमियां

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाए गए और पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड़ की गई प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़ों के मध्य अंतर

वर्ष 2015-16 के दौरान सभी जिला परिषदें (12) 78 में से 59 पंचायत समितियां और 3,243 में से 2,738 ग्राम पंचायतें पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट में अपना खाता (प्रविष्टियां) बना रही है।

नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया था कि वर्ष 2015-16 हेतु नमूना-जांच की गई 102 ग्राम पंचायतों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए प्राप्तियों एवं व्यय के आंकड़े पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर अपलोड़ किए गए आंकड़ों से भिन्न है। प्राप्ति के आंकड़ों में ₹ 21.63 करोड़ का तथा व्यय के आंकड़ों में ₹ 13.07 करोड़ का अंतर था (**परिशिष्ट-4**)।

प्राप्तियों के आंकड़ों का विचलन एक से 99 *प्रतिशत* के बीच तथा व्यय का एक से 98 *प्रतिशत* के बीच हुआ। प्राप्तियों के आंकड़ों का विचलन विशेष रूप से ग्राम पंचायतों हिमरी (99 *प्रतिशत*) धागोली (90 *प्रतिशत*) तथा चनोटा (85 *प्रतिशत*) में बढ़ा हुआ था और व्यय के आंकड़ों का विचलन विशेष रूप से ग्राम पंचायतों हिमरी (98 *प्रतिशत*) चनोटा (91 *प्रतिशत*) और धागोली (91 *प्रतिशत*) में बढ़ा हुआ रहा।

बड़े विचलन वित्तीय जानकारी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं।

2.1.2 पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट का कार्यान्वयन तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका का रख-रखाव

(i) आदर्श लेखांकन संरचना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के हिसाब-किताब (लेखा) को रखने के लिए राज्य सरकार ने आदर्श लेखांकन संरचना द्वारा विकसित किए गए पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट को अपनाया (मार्च 2011)। निदेशक, पंचायती राज विभाग ने भी निर्देश दिया (जनवरी 2012) कि सभी खण्ड विकास अधिकारी ग्राम-पंचायतों में पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट लेखांकन प्रणाली को लागू करें। ग्राम पंचायतों के अधिकारियों को पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट पर प्रशिक्षण भी दिया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांच की गई 15 ग्राम पंचायतों[2] में लेखाओं का अनुरक्षण पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट लेखांकन प्रणाली में करना मार्च 2016 तक प्रारंभ नहीं किया था। नमूना-जांच की गई 21 ग्राम पंचायतों[3] में पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट में लेखाओं का अनुरक्षण शुरू तो कर दिया था परंतु यह पाया गया कि 2014-15 व 2015-16 के लिए रोकड़ बहियों का अनुरक्षण पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट में नहीं किया गया। उत्तर में, सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2016 से फरवरी 2017) कि ग्राम पंचायतों में नेटवर्क संयोजकता में कमी तथा काम के भारी बोझ के कारण लेखाओं को पी0आर0आई0ए0 सॉफ्ट में अनुरक्षित नहीं किया जा सका।

(ii) संयुक्त निदेशक-सह-उप सचिव, पंचायती राज विभाग ने निर्देश दिया था (जून 2015) कि राज्य की सभी पंचायती राज संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका का अनुरक्षण किया जाए पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बनाई गई सभी परिसम्पत्तियों की जानकारी राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर अपलोड की जाए।

---

2 मटेरनी; घराडा; यांगपा; थरोला; कोसरियां; सलबाड; सनवाल; रजेरा; पूलन; रचौली; बलेरा; पन्जई; संगडाह; कल्याड़ा तथा रिडकमार।

3 धगोली; टुटू मंजठाई; भोगपुर; कुलाहन; विक्रमवाग; रिट; मल्यवर; पट्टा; भुलस्वांए; घंडालवी; धरोग; भकेड़ा; संग्रह; हटपंग; चम्बोह; दाडो देवरिया; खाला क्यार; सराहन; शिवा; बलोठ तथा थल्ली।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 66 ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट-5**)में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा परिसम्पत्ति कि जो जानकारी तैयार की गई थी उसे राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर अपलोड नहीं किया गया था। उत्तर में, सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिव ने बताया (मई 2016 से फरवरी 2017) कि राष्ट्रीय परिसम्पत्ति निर्देशिका एप्लीकेशन पर प्रविष्टियां शीघ्र ही शुरू की जाएगी।

2.1.3 पंजिकाओं का गैर-अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 31 में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायती राज संस्था महत्त्वपूर्ण अभिलेखों, पंजिकाओं, प्रपत्रों इत्यादि का, जैसा कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 में ब्यौरा दिया गया है, अनुरक्षण करेंगी।

यह पाया गया था कि नमूना जांच की गई 140 पंचायती राज संस्थाओं में से 81 (नमूना-जांच की गई 128 का 63 *प्रतिशत*) ग्राम पंचायतों और एक जिला परिषद (जिला परिषद, कैलांग) में 2016-17 के दौरान महत्त्वपूर्ण पंजिकाएं जैसे स्टॉक पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका, कार्य पंजिका, मस्टर रोल पंजिका, अस्थायी अग्रिम पंजिका, यात्रा अनुदान पंजिका, आकस्मिक व्यय पंजिका, सहायता अनुदान पंजिका, चैक निर्गत एवं प्राप्ति पंजिका इत्यादि अनुरक्षित नहीं की गई थी (**परिशिष्ट-6**)। अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देनों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। सम्बंधित पंचायत सचिवों ने भविष्य में इन अभिलेखों के अनुरक्षण का विश्वास दिलाया (जून 2016-मार्च 2017)।

2.1.4 स्व-संसाधनों तथा अनुदानों/ऋणों से आय के लेखाओं का अनुचित अनुरक्षण

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 4 में प्रावधान है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्व-संसाधनों से आय (लेखा 'क') तथा अनुदान, विकास कार्यों अथवा विशेष उद्देश्यों हेतु आवंटित निधियों, ऋणों करों/शुल्कों/उपकरों के हिस्सों से आय और अन्य आय (लेखा 'ख') के पृथक लेखा का अनुरक्षण करेंगे।

यह पाया गया कि नमूना-जांच की गई 140 पंचायती राज संस्थाओं में से 33 ग्राम पंचायतों[4] और पंचायत समिति (पंचायत समिति कुनिहार) में लेखाओं का अनुरक्षण निर्धारित प्रारूप में नहीं किया गया था और समस्त लेन-देन एक लेखा के माध्यम से किया गया था जोकि उपर्युक्त नियमावली का उल्लंघन था जिसके कारण स्व-संसाधनों तथा प्राप्त अनुदानों/ऋणों से आय के आंकड़ों की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका। सम्बंधित पंचायत सचिवों ने भविष्य में निर्धारित प्रारूप में पृथक लेखाओं के अनुरक्षण का विश्वास दिलाया (जून 2016-नवम्बर 2017)।

2.1.5 बैंक पुनर्मिलान विवरणियां तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 15 (10)(ख) प्रावधान करता है कि प्रत्येक मास रोकड़ बही तथा बैंक खातों के शेष का पुनर्मिलान किया जाए। किसी भी अंतर की रोकड़ बही में फुटनोट में कारणों सहित व्याख्या की जाएगी।

यह पाया गया कि 35 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वर्ष 2015-16 के अंत में रोकड़ बहियों तथा बैंक पास बुकों के शेष के मध्य ₹ 22.66 करोड़ के अंतर (**परिशिष्ट-7**) का पुनर्मिलान नहीं किया गया था। ₹ 93.25 लाख तथा ₹ 1,835.21 लाख का महत्त्वर्पूण अंतर क्रमश: पंचायत समिति (अम्ब) और जिला परिषद (कांगड़ा) में पाया गया। शेष के अंतर को देखते हुए इन पंचायती राज संस्थाओं के खातों की प्रमाणिकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता साथ ही नकद लेन-देन के माध्यम से प्राप्त खर्च (व्यय) व धन के गलत तरीके से स्वीकार करने या गबन किए जाने का जोखिम था। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों ने बताया (मार्च 2017) कि शीघ्र ही अंतरों का पुनर्मिलान किया जाएगा। बैंक पुनर्मिलान के अभाव में इन पंचायती राज संस्थाओं के लेखाओं की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017)कि शीघ्र ही अंतरों का पुनर्मिलान किया जायेगा।

[4] मटेरनी, गियू, नेहरा, हिमरी, कोटी बोंच, द्राबिल, बहराल, नाया, आलमपुर, पपलाह, भुलस्वांए, घंड़ालवी, बैरीरजादियां, धरमण, खलवाहन, धगोली, संगडाह, सनवाल, स्पैडू, लांगणा, सिहूंणी, हार, नैन, गुसवाड, चुधरेड़, कथोग, रजेरा, पूलन, बलोठ, ठाकरी मट्टी, पंजाई, जराड़ भुटटी तथा प्रीणी।

2.1.6 भौतिक सत्यापन का संचालन न किया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 73(1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के मामले में प्रधान तथा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के मामले में सम्बंधित सचिव द्वारा छः महीनों में न्यूनतम एक बार तथा निरपराद रूप से प्रत्येक वर्ष अप्रैल में समस्त भंडारगृहों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन का परिणाम लिखित में दर्ज किया जाएगा। अप्रैल में सत्यापन के दौरान स्टॉक पंजिका में प्रत्येक वस्तु के सामने उसकी स्थिति इंगित की जाएगी।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि जिला परिषद, कांगड़ा व 60 ग्राम पंचायतों में भंडारगृह/भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था **(परिशिष्ट-8)** नमूना-जांच की गई छः जिला पंचायतों, छः पंचायत समितियों और 128 ग्राम पंचायतों में से एक जिला पंचायत व 60 ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। उत्तर में, सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारी व सचिवों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017) कि भंडारगृहों/भण्डार का भौतिक सत्यापन शीघ्र ही संचालित किया जाएगा।

2.1.7 वस्तुओं का गैर-लेखांकन

39 ग्राम पंचायतों द्वारा स्टॉक पंजिका में ₹ 1.40 करोड़ की वस्तुओं का लेखांकन नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 69 के अंतर्गत समस्त भंडार सुपुर्दगी के समय जांच, गणना, माप अथवा तौल जैसा भी मामला हो, हेतु अपेक्षित हैं और तुरंत स्टॉक पंजिका में उनकी प्रविष्टि होनी चाहिए। ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति अथवा जिला परिषद के सचिव, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत भंडार गृहों के प्रभारी कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दिन की प्रविष्टियों के अंत पर एक प्रमाण पत्र दिया जाना अपेक्षित है जिसमें वर्णित होगा कि भंडार उचित स्थिति में तथा विनिर्देशों के अनुसार प्राप्त किए गए हैं। यदि भंडार अधिक पाए जाते हैं तो इसे अतिरिक्त प्राप्ति के रूप में इंगित किया जाना चाहिए और कमियां, यदि कोई हैं, लाल स्याही में इंगित की जानी चाहिए। आगे, उपर्युक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 70 अनुबद्ध करता है कि भंडार गृहों की सामग्रियां उचित मांग पत्रों की प्रति जारी की जाएंगी।

लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 में से 39 ग्राम पंचायतों में 2010-2016 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.40 करोड़ की लागत पर खरीदे गए भण्डार गृहों की मदें जैसे स्टील, लकड़ी,फर्नीचर, हार्डवेयर इत्यादि स्टॉक पंजिकाओं में लेखांकित नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-9)**। यह ग्राम पंचायतों के कमजोर अभिलेख अनुरक्षण पक्ष को इंगित करता है तथा इन भण्डारों के लेखांकन न होने की स्थिति में चोरी या हानि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रत्युत्तर में सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (अगस्त 2016-मार्च 2017) कि स्टॉक पंजिकाओं में मदों की प्रविष्टियां कर दी जाएगी। तथापि तथ्य यह रहा कि सम्बंधित ग्राम पंचायतों द्वारा भण्डार गृह अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित निगरानी नहीं रखी जा रही थी।

2.2 राजस्व

2.2.1 गृहकर की अवसूली

2015-16 की अवधि में 78 ग्राम पंचायतों ने ₹ 22.80 लाख के गृहकर की वसूली नहीं की थी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 का नियम 33 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत का सचिव देखेगा कि समस्त राजस्व सही ढ़ंग से, अविलम्ब तथा नियमित रूप से निर्धारित, वसूल तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत के खातों में जमा करवाया गया है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर या राशि को देय नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 में से 78 ग्राम पंचायतों में 2015-16 की अवधि हेतु ₹ 22.80 लाख राशि के गृह कर की वसूली, मार्च 2017 तक नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-10)**। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 114 के अनुरूप गृहकर का भुगतान न करने के लिए चूककर्त्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की थी। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (मई 2016-मार्च 2017) कि बकाया

गृहकर की वसूली हेतु प्रयास किए जाएंगे। उत्तर, ग्राम पंचायतों द्वारा अप्रभावी निगरानी के द्योतक हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का गैर-संग्रहण/हानि हो सकती है।

2.2.2 बकाया किराया

15 पंचायती राज संस्थाएं, दुकानों से देय ₹ 11.31 लाख राशि के किराए की वसूली करने में विफल रही।

जिला परिषदें, पंचायत समितियां तथा ग्राम पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानों का अनुरक्षण कर रही थी और ये मासिक किराया आधार पर किराये पर दी गई थीं।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 1989-90 से 2015-16 की अवधि के लिए 15 पंचायती राज संस्थाओं में 81 से ₹ 11.31 लाख राशि का किराया मार्च 2016 तक बकाया था **(परिशिष्ट-11)**। इससे इंगित हुआ कि पंचायती राज संस्थाओं द्वारा दुकान किराये के समयबद्ध संग्रहण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं ने बताया (जुलाई 2016-मार्च 2017) कि चूककर्त्ताओं का बकाया किराया जमा करवा लिया जाएगा।

2.2.3 मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन हेतु शुल्क वसूल न किया जाना

42 ग्राम पंचायतों में मोबाइल टॉवरों के प्रतिष्ठापन/नवीकरण प्रभारों के आधार पर ₹ 12.25 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार क्षेत्र में मोबाइल संचार टॉवरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 4,000 प्रति टॉवर की दर से शुल्क का उद्ग्रहण करने तथा प्रति टॉवर ₹ 2,000 की दर से वार्षिक नवीकरण फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया है (नवम्बर 2006)।

लेखापरीखा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 में से 42 ग्राम पंचायतों में 2003-16 के दौरान 80 मोबाइल टॉवर प्रतिष्ठापित किए गए परंतु सम्बंधित मोबाइल कम्पनियों से मार्च 2016 तक ₹ 12.25 लाख राशि के प्रतिष्ठापन नवीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की गई थी **(परिशिष्ट-12)**। इससे ग्राम पंचायतें उनके राजस्व के देय हिस्से से वांछित रही। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017) कि बकाया की वसूली के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी।

2.2.4 पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बजट आकलन तैयार किये बिना किया गया व्यय

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 38 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए (प्रपत्र-11) निर्धारित प्रारूप में अपने प्राप्ति एवं व्यय का एक वार्षिक बजट आकलन तैयार करेगी। बजट आकलन ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा विगत वर्ष के 15 अक्तूबर तक तैयार किया जाएगा तथा ग्राम पंचायत को संवीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाएगा तथा यह बजट ग्राम सभा द्वारा बहुमत से पारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 ग्राम पंचायतों में से दो[5] में 2013-14 व 2015-16 के दौरान, बजट आकलन तैयार एवं पारित किए बिना ₹ 68.71 लाख का व्यय किया था। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (नवम्बर 2016-दिसम्बर 2016) कि भविष्य में नियमों का कठोरता से पालन किया जाएगा।

2.3 निधियों का अवरोधन

2.3.1 निर्माण कार्य आरंभ न किये जाने के कारण निधियों का अवरोधन

निर्माण कार्य आरंभ न किए जाने के कारण ₹ 74.97 लाख की निधियां अव्ययित रही।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच की गई 128 में से 28 ग्राम पंचायतों में **(परिशिष्ट-13)** विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 91 विकास कार्यों के निष्पादन हेतु ₹ 74.97 लाख प्राप्त किए गए (2010-16)। तथापि, फरवरी 2017 तक इन निर्माण कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया था। अत: विकासात्मक गतिविधियों हेतु निधियों का उपयोग न

[5] पट्टा: ₹ 36.10 लाख तथा बकेड़ा: ₹ 32.61 लाख।

किए जाने के परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ और लाभार्थी भी आपेक्षित लाभों में वंचित रहे। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के सचिवों ने बताया (अगस्त 2016-फरवरी 2017) कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में क्षेत्र के पदाधिकारियों की भागीदारी के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका और शीघ्र ही निकाय कार्य प्रारंभ कर दिए जाएगें। उप-निदेशक (पंचायती राज) ने बताया (सितम्बर 2018) कि संहिताबद्ध औपचारिकताओं को पूरा ना करने (जैसे जिसकी भूमि प्राप्त की है उसमें आदेश प्रमाण पत्र प्राप्त करना) तथा क्षेत्रिय स्टॉफ के पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में अनुबंध (व्यस्त) के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका या कार्य के शुरू होने में विलम्ब हुआ। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एक से सात वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य आरम्भ नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप निधियों का अवरोधन हुआ।

2.3.2 निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण अप्रयुक्त निधियां

ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण ₹ 1.44 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रहीं।

नमूना जांच की गई 128 में से 33 ग्राम पंचायतों में 2011-16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 123 निर्माण कार्यों (तीन से 12 महीनों की अवधि के भीतर पूर्णता हेतु बह्द) के निष्पादन के लिए प्राप्त ₹ 3.38 करोड़ राशि के प्रति ₹ 1.94 करोड़ का व्यय हुआ था और ₹ 1.44 करोड़ (43 *प्रतिशत*) की शेष राशि फरवरी 2017 तक अप्रयुक्त थी (**परिशिष्ट-14**)। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के सचिवों ने बताया (जुलाई 2016-फरवरी 2017) कि भूमि विवादों तथा मुकदमेबाजी के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका। कुछ कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाएगें। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्वीकृत होने के एक से छ: साल बीत जाने के बाद भी कार्य अपूर्ण है।

2.3.3 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति

पंचायती राज संस्थाओं में निर्माण कार्यों को आरम्भ न किए जाने, अपूर्ण निर्माण कार्यों तथा निधियों को अवमुक्त न किए जाने के आधार पर 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹11.96 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही।

13वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अवमुक्त किए गए अनुदान राज्य के खाते में जमा करवाए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने चाहिए थे और इसके प्रति अनुमोदित निर्माण कार्यों को उनकी संस्वीकृति की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) नमूना जांच की गई 140 में से 41 पंचायती राज संस्थाओं में 2011-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 16.77 करोड़ प्राप्त किए गये (**परिशिष्ट-15**)। इन पंचायती राज संस्थाओं में उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 14.54 करोड़ राशि की निधियों का उपयोग किया गया था और ₹ 2.23 करोड़ (13 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रहे। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (जून 2016-दिसम्बर 2016) कि उपलब्ध निधियों का शीघ्र ही उपयोग किया जाएगा।

(ii) यह पाया गया कि दो जिला परिषदों[6] और चार पंचायत समितियों[7] में 2011-16 के दौरान, 367 विकास कार्यों हेतु 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 4.11 करोड़ प्राप्त हुए थे, जिनका जनवरी 2017 तक निष्पादन नहीं हुआ था। जनवरी 2017 तक समस्त राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरूद्ध पड़ी थी। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों और सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2016-जनवरी 2017) कि संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण कार्यों का निष्पादन नहीं किया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संहिताबद्ध औपचारिकताएं कार्यों के संस्वीकृत होने तथा निधियों के अवमुक्त होने के पूर्व ही पूर्ण कर ली जानी चाहिए थी।

---

6 जिला पंचायत ऊना: ₹ 291.67 लाख तथा जिला पंचायत कुल्लू: ₹ 60.74 लाख।

7 पंचायत समिति कुल्लू: ₹ 42.97 लाख; पंचायत समिति अम्ब: ₹ 3.69 लाख; पंचायत समिति चम्बा: ₹ 5.12 लाख तथा पंचायत समिति परागपुर: ₹ 6.68 लाख।

(iii) यह पाया गया कि तीन पंचायती राज संस्थाओं[8] वर्ष 2009-16 के दौरान, 470 विकास कार्यों हेतु, 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 4.54 करोड़ प्राप्त हुए थे जो अपूर्ण पड़े रहे, तथा पंचायती राज संस्थाओं के पास व्यय की जानकारी अनुपलब्ध थी जबकि कार्यों की स्थिति पूर्णता के करीब बताई गई थी। दिसम्बर 2016 तक समस्त राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरूद्ध पड़ी थी। सम्बंधित पंचायती राज संस्थाओं के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2016-दिसम्बर 2016) कि लम्बित कार्यों को पूर्ण करने हेतु शीघ्र ही निर्देश दिए जाएगें। प्रत्युत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संस्वीकृत होने की तिथि से एक से सात वर्ष बीत जाने के उपरांत भी ये कार्य अपूर्ण है।

(iv) वर्ष 2013-16 के दौरान 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत नमूना जांच की गई दो ग्राम पंचायतों[9] द्वारा प्राप्त ₹ 7.54 करोड़ में से ₹ 6.46 करोड़ प्राप्त किए थे जिन्हें आगे विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों को अवमुक्त किए गए तथा ₹ 1.08 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं में अप्रयुक्त व अवमुक्त रहित रहे। इन सम्बंधित ग्राम पंचायतों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2016-जनवरी 2017) कि जिला परिषद सदस्यों से शैल्फ/आकलनों की गैर-प्राप्ति के कारण निधियां अवमुक्त नहीं की जा सकी थी और निधियां शीघ्र ही अवमुक्त की जाएगी।

2.3.4 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त निधियों की अप्रयुक्ति

58 पंचायती राज संस्थाओं में निर्माण कार्यों को आरम्भ न किए जाने तथा अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 4.41 करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही।

14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अवमुक्त किए गए अनुदान के खाते में जमा करवाए जाने की तिथि के 15 दिनों के भीतर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए जाने चाहिए थे और इसमें अनुमोदित निर्माण कार्यों को उनकी संस्वीकृति की तिथि से तीन महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

(i) 53 ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट-16**) में वर्ष 2015-16 के दौरान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 3.92 करोड़ विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त हुए थे, जोकि मार्च 2017 तक निष्पादित नहीं हुए थे। फरवरी 2017 तक समस्त राशि पंचायती राज संस्थाओं के पास अवरूद्ध रही। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (सितम्बर 2016-फरवरी 2017) कि ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा शैल्फ या आकलनों की गैर प्राप्ति, 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार न होने के कारण निर्माण कार्यों का निष्पादन न हो सका (ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया गया शैल्फ व्यय आकलन सहित कार्य का प्रस्ताव) 14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशानुसार नहीं था और इसे पुन: बनाया तथा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। अत: ग्राम पंचायतों द्वारा आकलन तैयार करने के समय पर पूर्ण निष्ठा के अभाव के फलस्वरूप निधियां अवरूद्ध रही।

(ii) आगे पाया गया था कि पांच ग्राम पंचायतों (**परिशिष्ट-16**) में वर्ष 2015-16 के दौरान 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ₹ 0.62 करोड़ प्राप्त किए गए थे। उपर्युक्त अवधि के दौरान ₹ 0.13 करोड़ की राशि प्रयोग में ली गई तथा ₹ 0.49 करोड़ शैल्फ/आकलन की विलम्ब प्राप्ति के कारण निर्माण कार्यों को आरम्भ ना किए जाने से इन ग्राम पंचायतों में अप्रयुक्त रही। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2016-मार्च 2017) कि उपलब्ध राशि का शीघ्र ही उपयोग कर लिया जाएगा। यह उत्तर खराब योजना को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारित समयावधि में निधियां अप्रयुक्त रही।

---

8 पंचायत समिति कुनिहार: ₹ 32.58 लाख; पंचायत समिति कुल्लू: ₹ 19.30 लाख तथा जिला पंचायत सोलन: ₹ 402.14 लाख।

9 जिला पंचायत ऊना: ₹ 1.05 करोड़ तथा जिला पंचायत केलांग: ₹ 0.03 करोड़।

2.3.5 पर्सनल लेजर खाते में निधियों का अवरोधन

लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु चिह्नित ₹ 6.16 लाख की निधियां पर्सनल लेजर खातों में अप्रयुक्त रही।

पंचायत समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सिंचाई एवं जलापूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन हेतु सरकार से प्राप्त अनुदानों को जमा करवाने के लिए पर्सनल लेज़र खातों का अनुरक्षण कर रही थीं। संस्वीकृतियों की शर्त के अनुसार निधियां संस्वीकृति की तिथि से एक मास के भीतर आहरित की जानी थी और एक वर्ष के भीतर इनका उपयोग किया जाना था।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 2011-16 के दौरान तीन पंचायत समितियां[10] ने परियोजनाओं के निष्पादन हेतु ₹ 6.16 लाख प्राप्त किए थे। तथापि, लघु सिंचाई तथा जलापूर्ति निर्माण कार्यों पर कोई व्यय नहीं हुआ था। पर्सनल लेजर खातों में निधियां अवरूद्ध रही और लाभार्थी परियोजनाओं के आपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

सम्बंधित पंचायत समितियों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2016-दिसम्बर 2016) कि शीघ्र ही अभिप्रेत उद्देश्यों हेतु निधि का प्रयोग किया जाएगा। परियोजनाओं के गैर-निष्पादन के लिए दिया गया ठोस कारण अभिलेखों में नदारद था। हालांकि, उप-निदेशक (पंचायती राज) ने बताया (सितम्बर 2018) पर्सनल लेजर खातों में परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधियों को जमा ना करने के निर्देश जारी कर दिए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पर्सनल लेजर खातों में जमा निधियों को संस्वीकृत होने की तिथि के एक वर्ष के भीतर प्रयोग में ले लिए जाने की आवश्यकता थी।

2.3.6 निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत ₹ 6.09 लाख की निधियां अप्रयुक्त रही।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-16 के दौरान तीसा खण्ड (चम्बा जिला) की ग्राम पंचायत सनवाल में, निर्मल भारत अभियान के तहत् ₹ 7.92 लाख की राशि प्राप्त की गई। वर्ष 2014-16 के दौरान मात्र ₹ 1.83 लाख का व्यय किया गया व फरवरी 2017 तक ₹ 6.09 लाख की शेष राशि अप्रयुक्त रही। ग्राम पंचायत ने बिना किसी कारण के शेष राशि को दो साल से अधिक की अवधि के लिए प्रयोग में नहीं लिया परिणामत: लाभार्थी आपेक्षित लाभों से वंचित रहे।

सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (फरवरी 2017) कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत प्राप्त राशि, शीघ्र ही लाभार्थी को अवमुक्त कर दी जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियों का समय पर उपयोग कर लिया जाना चाहिए।

2.3.7 सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में ग्राम पंचायत की असफलता के फलस्वरूप ₹ 0.20 लाख की निधियों का अवरोधन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2010-11 के दौरान मशोबरा खण्ड (शिमला जिला) के ग्राम पंचायत जलेल में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत् शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 0.20 लाख राशि प्राप्त की थी और हिमाचल प्रदेश को-ऑपरेटिव बैंक, शोघी में यह निधियां जमा की गई थी। मशोबरा खण्ड द्वारा लाभार्थियों की सूची सुनिश्चित ना करने के कारण, मार्च 2017 तक छ: वर्ष से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी यह ग्राम पंचायत के बचत बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़ी रही।

सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (फरवरी 2017) कि सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्राप्त राशि को शीघ्र ही लाभार्थी तक अवमुक्त कर दिया जाएगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लाभार्थियों की पहचान किए बिना निधियों का उपयोग कैसे किया जा सकेगा।

---

[10] कुनिहार: ₹ 1.20 लाख, परागपुर: ₹ 1.60 लाख तथा अम्ब: ₹ 3.36 लाख।

2.4 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत वेतन का संदेहास्पद/दो बार भुगतान

2.4.1 छः ग्राम पंचायतों ने एक ही अवधि में अलग-अलग कार्यों हेतु उन्हीं एक जैसे श्रमिकों को भुगतान दर्शाया।

अभिलेखों की संवीक्षा में उजागर हुआ कि नमूना जांच की गई छ: ग्राम पंचायतों[11] में वर्ष 2010-15 के दौरान एक ही अवधि में विभिन्न निर्माण कार्यों तथा विभिन्न मस्टर रोलों पर एक जैसे मजदूरों की तैनाती दर्शाई, जिसके परिणामस्वरूप संदेहास्पद तैनाती हुई व ₹ 0.31 लाख की मजदूरी का दो बार भुगतान हुआ। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (जनवरी 2017 से मार्च 2017) कि मामले की जांच की जाएगी। सम्बंधित जिला पंचायत अधिकारी ने बताया कि दो बार भुगतान की गई मजदूरी की राशि की वसूली कर ली जाएगी। इस तारतम्य में, यह इंगित किया जा सकता है कि 2015-16 की वार्षिक तकनीकी निरिक्षण प्रतिवेदन के परिच्छेद 2.4 में इसी अनियमिता को उजागर किया गया था। उसी अनियमितता का दोबारा उदाहरण प्रस्तुत होना दर्शाता है कि नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

2.4.2 दो ग्राम पंचायतों में मस्टर रोल पूर्ण किए बिना मजदूरों की मजदूरी पर व्यय किया गया

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 102 में प्रावधान है कि दैनिक मजदूरों के आधार पर कार्य के मामले में, कार्य का प्रभारी व्यक्ति मस्टर रोल का अनुरक्षण करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 के दौरान दो ग्राम पंचायतों[12] में विभिन्न निर्माण कार्यों/मस्टर रोल हेतु नौ मजदूरों को तैनात किया गया तथा उनकी मजदूरी पर ₹ 0.31 लाख का व्यय हुआ। इस प्रावधान के विपरीत, मस्टर रोल अपूर्ण थे और मजदूरों की उपस्थिति चिह्नित नहीं थी। मजदूरों की उपस्थिति चिह्नित ना होने से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान प्रमाणिक माना नहीं जा सकता और हेराफेरी (गबन) से इंकार नहीं किया जा सकता। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2016-फरवरी 2017) कि उचित कार्यवाही की जाएगी।

2.4.3 चार ग्राम पंचायतों में बिना दस्तावेजी प्रमाण के मजदूरों को भुगतान किया गया

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 के नियम 50 में प्रावधान है कि, जहां आवश्यक हो, भुगतान करते समय, भुगतान लेने वाले व्यक्ति से मुहर लगी, अलग पावती की जाए तथा सम्बंधित बाउचर संलग्न किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया, कि चार ग्राम पंचायतों[13] में, वर्ष 2011-15 के दौरान मस्टर रोल पर मजदूरों से पावती रसीद (हस्ताक्षर) लिए बिना, 15 मजदूरों को ₹ 0.21 लाख राशि की मजदूरी का भुगतान किया गया। अत: ये ₹ 0.21 लाख का संदेहास्पद भुगतान था और गबन (हेराफेरी) से इंकार नहीं किया जा सकता। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने बताया (दिसम्बर 2016-फरवरी 2017) कि उचित कार्यवाही की जाएगी तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

2.5 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) के अन्तर्गत मजदूरियों की अवमुक्ति में विलम्ब

21 ग्राम पंचायतों में एक से 178 दिनों की अवधि तक के लिए मजदूरों को ₹ 1.18 करोड़ राशि की मजदूरियों के भुगतान में विलम्ब हुआ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 8.3.1 के अनुसार मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाना था और किसी भी मामले में कार्य सम्पन्न होने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों तक भुगतान किया जाना था। 15 दिनों से अधिक विलम्ब के मामले में 'मजदूरियों का भुगतान अधिनियम, 1936' के प्रावधानों के अनुसार मजदूर क्षतिपूर्ति हेतु पात्र थे।

---

[11] रप्पड़: ₹ 0.04 लाख; चढ़ियार: ₹ 0.02 लाख; घोडव: ₹ 0.15 लाख; कल्याड़ा:₹ 0.04 लाख: भत्तल्ला ₹ 0.05 लाख तथा भुनेड़ ₹ 0.01 लाख।

[12] मतेहड़ ₹ 0.28 लाख तथा मावा कोला ₹ 0.03 लाख।

[13] मतेहड़; ₹ 0.08 लाख; मावा कोला; ₹ 0.07 लाख; टिहरा बंगाणा; ₹ 0.04 लाख तथा कथोग ₹ 0.02 लाख।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 21 ग्राम पंचायतों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मजदूरों को ₹ 1.18 करोड़ की मजदूरी का भुगतान, 15 दिनों की स्वीकार्य अवधि के बजाय एक से 178 दिनों के विलम्ब से किया (**परिशिष्ट-17**)। यद्यपि मजदूरों को विलम्बित भुगतान हेतु किसी क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया। सम्बंधित ग्राम पंचायतों के सचिवों ने विलम्बित भुगतानों के लिए मजदूरों को देय क्षतिपूर्ति के गैर-भुगतान हेतु कोई ठोस कारण नहीं दिए गए थे (अगस्त 2016-दिसम्बर 2016)।

2.6 संदेहास्पद व्यय

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 2002 के नियम 47 के अनुसार किसी भी उद्देश्य हेतु राशि के पुन: भुगतान सहित प्रत्येक भुगतान पहले पंचायत निधि में दर्ज किया जाए फिर बाउचर सेटिंग की सहायता में पूर्ण अैर स्पष्ट विवरणों से खातों में वर्गीकृत किया जाए।

अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत बारटो, खण्ड सुन्दरनगर (मण्डी जिला) में क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत योजना और 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत कार्यों हेतु ₹ 0.19 लाख का व्यय किया गया, जबकि लेखापरीक्ष हेतु बिल तथा बाउचर उपलब्ध नहीं कराए गए। बाउचरों की अनुपलब्धता में व्यय प्रमाणित नहीं किए जा सकते और गबन (हेराफेरी) की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव ने बताया (अक्तूबर 2016) कि बाउचरों को ढूंढा जाएगा और फाईल में रखा जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक भुगतान का बाउचर प्रस्तुत होना चाहिए।

2.7 अस्थायी अग्रिमों का गैर-समायोजन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 2002 के नियम 30 में प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के किसी भी उद्देश्य हेतु ग्राम पंचायत के किसी पदाधिकारी अथवा अधिकारी को अग्रिम भुगतान करने की आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी अग्रिम पंजिका के फार्म-9 में अग्रिम का रिकार्ड सुरक्षित किया जाए (रखा जाए)।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम, 189(1) से (4) के अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी को किसी वस्तु की खरीदी अथवा किसी सेवा की बहाली अथवा किसी अन्य विशेष खरीदी अथवा अन्य किसी निर्धारित कार्य हेतु आवश्यकतानुसार अग्रिम दिए जाने का (संस्वीकृत किए जाने का) अधिकार विभागाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहता है। नियम में आगे प्रावधान है कि शेष के साथ यदि समायोजन बिल हो तो अग्रिम के आहरण के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाए। इसका अग्रिम तब तक देय नहीं होगा जब तक की सम्बंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा पहला समायोजन खाता जमा नहीं किया जाता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 1986 व सितम्बर 2016 के मध्य प्रधान, ग्राम पंचायत धागोली (शिमला जिला के छौहारा खण्ड में) को ₹ 0.36 लाख का अस्थाई अग्रिम संस्वीकृत किए गए तथा वर्ष 2006-07 के दौरान ग्राम पंचायत जलेल (शिमला जिला के मशोबरा खण्ड में) भी निर्माण समिति को पानी की टंकी के निर्माण हेतु ₹ 0.14 लाख का अस्थाई अग्रिम संस्वीकृत किया गया ये अग्रिम एक से 31 वर्षों की अवधि तक समायोजन हेतु लम्बित रहे। ग्राम पंचायत धागोली द्वारा यह कार्य नहीं दर्शाया गया जिसके लिए प्रधान को यह राशि अग्रिम के रूप पर दी गई थी और बताया (सितम्बर 2016) कि प्रधान को नोटिस जारी किए गए हैं, परंतु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (भेजा गया)। ग्राम पंचायत जलेल के सचिव ने बताया (मार्च 2017) कि अग्रिमों का समायोजन जांचा जाएगा तथा लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

भाग-ख
शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-3

शहरी स्थानीय निकायों की रूपरेखा

3.1 पृष्ठभूमि

74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों **(परिशिष्ट-1)** सहित निधियों तथा कर्मचारियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया था। यद्यपि हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को 17 कार्य हस्तांतरित (अगस्त 1994) किये गये थे (अग्निशमन सेवाओं को छोड़कर); तथापि शहरी स्थानीय निकायों को अब भी सम्बन्धित निधियां तथा कर्मचारी उपलब्ध किए जाने शेष थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के हस्तांतरण हेतु, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 अधिनियमित किया था।

3.2 लेखापरीक्षा अधिदेश

हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सुपुर्द की थी (मार्च 2011)। लेखापरीक्षा निष्कर्ष अध्याय-4 में शामिल किये गये हैं।

3.3 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढ़ांचा

राज्य में दो नगर निगम, 30 नगर परिषद तथा 22 नगर पंचायत है।

शहरी स्थानीय निकायों का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी विकास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास विभाग) के पास है। संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

शहरी स्थानीय निकायों का प्रशासनिक ढ़ांचा

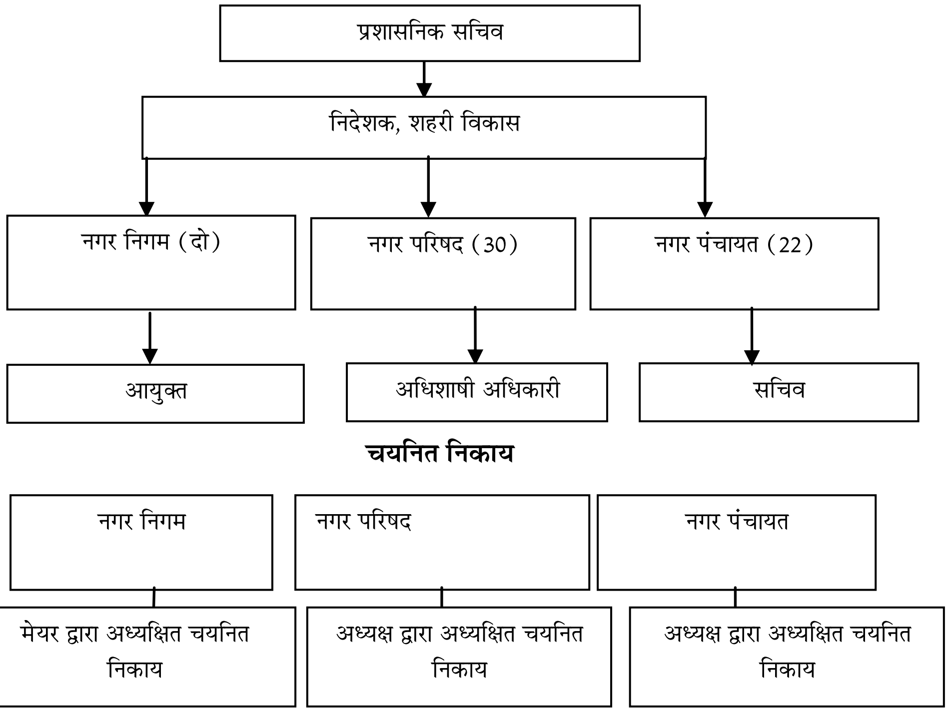

3.3.1 स्थायी समितियां

वित्तीय मामलों तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल विभिन्न स्थाई समितियों का वर्णन **तालिका 8** में दिया गया है।

तालिका-8: स्थाई समितियों के नियम एवं उत्तरदायित्व

स्थाई समिति का नाम	स्थाई समिति का अध्यक्ष	स्थाई समिति की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व
सामान्य स्थाई समिति	नगर निगम में महापौर तथा नगर परिषद/नगर पंचायत में अध्यक्ष	स्थापना मामलों, संचार, भवनों, शहरी आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं के प्रति राहत के प्रावधान, जलापूर्ति एवं समस्त अवशिष्ट मामलों के सम्बंध में कार्यों का निष्पादन करती है।
वित्त, लेखापरीक्षा एवं आयोजन समिति		नगरपालिका के वित्त, बजट का निर्माण, राजस्व वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा व प्राप्तियों एवं व्यय विवरणों की जांच से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।
सामाजिक न्याय समिति	नगर निगम में उप महापौर तथा नगर परिषद/नगर पंचायत में अध्यक्ष	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, महिलाओं एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य हितों की प्रोन्नति से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।

3.3.2 परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

शहरी विकास निदेशालय में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के निरीक्षण हेतु परियोजना अनुभाग में एक परियोजना अधिकारी तथा दो सांख्यिकीय सहायकों की तैनाती की गई है। शहरी स्थानीय निकायों में 3,729 स्वीकृत पदों में से विभिन्न श्रेणियों के 1,047 पद (28 *प्रतिशत*) रिक्त थे, और तीन शहरी स्थानीन निकायों[14] में 38 कर्मचारी अधिक थे।

3.4 वित्तीय रूपरेखा

3.4.1 शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का प्रवाह

विभिन्न विकास कार्यों के निष्पादन के लिए शहरी स्थानीय निकाय मुख्यत: भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदान के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदान में केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत दिये गए अनुदान तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान शामिल हैं। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आमदनी के हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदानों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा करों, किराया, शुल्कों, इत्यादि से भी राजस्व जुटाया जाता है। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित निधियां बैंक में रखी जाती हैं।

जहां केन्द्रीय एवं राज्य अनुदान, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वहीं शहरी स्थानीय निकायों की अपनी प्राप्तियां प्रशासनिक खर्चों एवं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाई गई परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं **तालिका 9** में दी गई हैं:

तालिका-9: प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में निधि प्रवाह व्यवस्थाएं

क्रमांक	स्कीम	निधि प्रवाह व्यवस्थाएं
1.	स्मार्ट सिटी मिशन	स्मार्ट सिटी मिशन केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष प्रति शहर ₹ 100 करोड़ औसत वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव दिया है। मेल के आधार पर राज्य/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा समान राशि का योगदान दिया जाएगा।

[14] नगर निगम धर्मशाला: 27, नगर परिषद हमीरपुर: एक तथा नगर परिषद डलहौजी: 10

2.	लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास परियोजना	केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान 80:10 के अनुपात में बांटा जाना है तथा शेष 10 *प्रतिशत* का बंदोबस्त शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्व स्रोतों से किया जाना है।
3.	जिर्णोधार एवं शहरी रूपांतर हेतु अटल मिशन	हिमाचल प्रदेश में परियोजनाओं का निधियन पैटर्न केन्द्र और राज्य सरकार के मध्य 90:10 के अनुपात में है।
4.	स्वच्छ भारत मिशन	हिमाचल प्रदेश विशेष राज्य वर्ग में है अतैव केन्द्र तथा राज्य सरकार में प्राप्त अनुदानों का अनुपात 90:10 रखा गया है।

3.4.2 संसाधनः प्रवृत्तियां एवं संघटक

शहरी स्थानीय निकायों के 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए संसाधनों का वर्णन **तालिका-10** में दिया गया है।

तालिका-10: शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों पर समयावली आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
स्व राजस्व	44.23	50.10	119.38	153.14
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों सहित केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरण	30.97	46.88	22.52	24.55
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरण	57.07	68.08	72.40	85.51
केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से अनुदान	3.90	149.16	91.64	159.62
राज्य परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से अनुदान	78.01	8.84	34.55	67.15
योग	**214.18**	**323.06**	**340.49**	**489.97**

उपर्युक्त तालिका में यह अनुमानित किया गया कि केन्द्रीय योजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की मात्रा पर विचार करने के बाद राज्य सरकार ने राज्य योजनाओं के लिए अनुदान जारी किया ताकि योजनाओं के विकास के लिए जारी कुल निधियों की बढ़ती प्रवृत्ति को बनाए रखा जा सके।

3.4.3 संसाधनों का अनुप्रयोगः प्रवृत्तियां एवं संघटक

2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए शहरी स्थानीय निकायों के संसाधनों के अनुप्रयोग **तालिका 11** में दिए गये हैं:

तालिका-11: क्षेत्रवार संसाधनों का अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
स्व राजस्व से व्यय	31.04	19.35	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
केन्द्रीय वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय	30.97	35.39	22.52	24.55
राज्य वित्त आयोग हस्तांतरणों से व्यय	57.07	68.08	72.40	85.51
राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों से व्यय	78.01	169.49	126.19	226.77
योग	**197.09**	**292.31**	**221.11**	**336.83**

स्रोत: निदेशक शहरी विकास

शहरी विकास, निदेशालय ने वर्ष 2014-15 से आगे स्व-राजस्व से व्यय आंकड़ों का अनुरक्षण नहीं किया था। शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक द्वारा इस संदर्भ में कहा गया (जुलाई 2018) कि शहरी स्थानीय निकायों को वार्षिक आय और व्यय नियमित रूप में जमा करने के लिए बार-बार निर्देशित किया जा रहा था। इससे इंगित हुआ कि विभाग वर्ष 2014-15 में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्व-राजस्व से व्यय के लिए आंकड़े प्राप्त करने में सक्षम नहीं था।

3.5 शहरी स्थानीय निकायों का वित्तीय विवरण एवं लेखांकन ढांचा (आंतरिक नियंत्रण प्रणाली)

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली महत्वपूर्ण रूप से कुशल एवं प्रभावी शासन के लिए योगदान करती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों की अनुपालना के साथ-साथ ऐसी अनुपालना की प्रास्थिति पर रिपोर्टिंग की समयपरकता और गुणवत्ता

अच्छे शासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं प्रचालनीय है, शहरी स्थानीय निकायों एवं राज्य सरकार को उनके आधारभूत प्रबन्धन उत्तरदायित्वों, निर्णय क्षमता तथा हित साधकों के प्रति उत्तरदायित्व को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पायी गयी कमजोरियों/कमियों का उल्लेख अध्याय-4 में किया गया है।

3.6 शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक तथा आंतरिक लेखापरीक्षा

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 161(3) तथा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा परस्पर भिन्न तथा स्वंतत्र एजेंसियों द्वारा की जाए। शहरी स्थानीय निकायों की प्राथमिक लेखापरीक्षा, निदेशक स्थानीय लेखा विभाग द्वारा की जा रही है। वर्ष 2016-17 के दौरान 20 शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा स्थानीय लेखा विभाग द्वारा की गई। इन लेखापरीक्षाओं के परिणाम शहरी स्थानीय निकायों की वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए जिसे हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255(3) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

आय और व्यय के नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने हेतु निदेशक, शहरी विकास विभाग के पास परस्पर भिन्न और स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा एजेंसी के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

3.7 तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम, 2007 की धाराओं 152-154 के अनुसार वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं, लेखापरीक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाओं, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, रिपोर्टिंग एवं विवरणियों को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में प्राथमिक लेखापरीक्षकों को उचित तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध करवाने के उत्तरदायित्व के साथ नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) के अधिनियम, 1971 की 20(1) के अन्तर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सुपुर्द की गई है।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग) से वर्ष 2016-17 के लिए लेखापरीक्षा योजना प्राप्त की गई थी और इस कार्यालय में लेखापरीक्षा योजना हेतु नोट की गई थी।

प्राथमिक लेखापरीक्षक (निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग) ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 164 में निर्धारित लेखापरीक्षा पद्धति एवं प्रक्रियाओं का पालन किया था।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राथमिक लेखापरीक्षकों द्वारा संचालित शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा से छः निरीक्षण प्रतिवेदनों की कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा समीक्षा की गई थी। निरीक्षण प्रतिवेदनों की जांच की गई थी और सुधार एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सिफारिशें की गई थीं। निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय को निम्नवत सिफारिशें की गई थीं:

(i) लेखापरीक्षा में आपत्तियां उठाते समय परिच्छेदों में नियमों का संदर्भ दिया जाए।

(ii) लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा मेमों जारी किए जाएं और लेखापरीक्षा परिच्छेदों में सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों के सचिवों/अधिशाषी अधिकारी का उत्तर सम्मिलित किया जाए।

यह पाया गया कि स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग ने पिछले वर्ष के दौरान कार्य प्रगति हेतु पूर्ववत अनुशंसा की गई परंतु स्थाई कमियों उपस्थिति बताती है कि इनके निवारण के लिए स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए।

प्रत्येक वर्ष स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा स्टॉफ को उनकी आवश्यकता/उनके द्वारा सुझाए गए विषयों के अनुसार दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2016-17 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा के 18 प्रतिभागियों को 8 और 09 दिसम्बर 2016 को निम्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया: (i) वित्त कर और दावे की वसूली से सम्बंधित सांविधिक व्यवस्थापन (ii) पंचायती राज संस्थाओं की निधियां उनकी कार्य-प्रणाली अनुप्रयोग और पूंजी निवेश (iii) बजट, किए गए व्यय और भण्डार (iv) लेखापरीक्षा और निरीक्षण (v) पंचायती राज लोक निर्माण कार्यों के नियम और; (vi महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का परिचय और इनकी कार्य-प्रणाली के नियम (आधारभूत सिद्धांत)।

3.8 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

वर्ष 2016-17 के दौरान, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा 16 शहरी स्थानीय निकाय इकाईयों की नमूना जांच की गई थी और सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकायों को प्रतिवेदन जारी किए गए थे। वर्ष 2016-17 के दौरान नगर निगम शिमला, 11 नगर परिषदों तथा चार नगर पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा की गई थी (**परिशिष्ट-3**) और उसके प्रति महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रतिवेदन के अध्याय-4 में सम्मिलित किए गए हैं।

3.9 अनुपालना हेतु लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

शहरी स्थानीय निकायों से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अभ्युक्तियों में विशेष रूप से दर्शाए गई कमियों/चूकों को सुधारना और अभ्युक्तियों के निपटान हेतु अपनी अनुपालना प्रतिवेदित करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2017 तक जारी किए गए, निपटाए गए तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों का ब्यौरा **तालिका-12** में दिया गया है।

तालिका-12: लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की स्थिति

क्रमांक	निरीक्षण प्रतिवेदनोंको जारी करने का वर्ष	31 मार्च 2016 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद		2016-17 के दौरान वृद्धि		कुल		2016-17 के दौरान निपटाए गए निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2017 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेद	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेद	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेद	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
1.	2012-13 तक	126	829	-	-	126	829	0	42	126	787
2.	2013-14	17	172	-	-	17	172	0	7	17	165
3.	2014-15	14	139	-	-	14	139	0	8	14	131
4.	2015-16	16	172	-	-	16	172	0	8	16	164
5.	2016-17	-	-	16	181	16	181	-	-	16	181
	योग	**173**	**1,312**	**16**	**181**	**189**	**1,493**	**0**	**65**	**189**	**1,428**

निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों के निपटान के लिए पत्राचार भी किया जा रहा था लेकिन इसके बावजूद निपटान नहीं किए गए परिच्छेदों की संख्या में वृद्धि हुई है। लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा बकाया परिच्छेदों का बड़ी संख्या में होना चिंता का विषय है।

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

अध्याय-4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 में शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई कमियों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.1 लेखाकरण पद्धति

निदेशक, शहरी विकास द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को लेखाकरण की दो बार प्रविष्ट पद्धति अपनाने का निर्देश दिया गया था (अप्रैल 2009)। वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों ने अपने लेखे दो बार प्रविष्टि पद्धति के अनुसार अनुरक्षित किए हैं।

4.1.1 लेखाओं को तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 252 के अनुसार नगरपालिका की आय व व्यय के लेखे निर्धारित नियमों के अनुसार रखे जाएंगे। नगरपालिका वित्त वर्ष की समाप्ति से अधिकतम 30 मास की अवधि के भीतर उस वर्ष हेतु लेखे तैयार करेगी।

दो शहरी स्थानीय निकायों[15] के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे, जबकि इन लेखे को नगरपालिका के निर्वाचित सदन द्वारा तैयार कराए जाने और मंजूर कराए जाने की आवश्यकता थी। सचिव/अधिशाषी अधिकारी ने बताया (फरवरी 2017) कि भविष्य में वार्षिक लेखे नियमित रूप से तैयार किए जाएगें।

4.2 बजट आकलन

4.2.1 अपेक्षित व्यय का आकलन किए बिना बजट तैयार करना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के बजट आकलन आगामी वित्त वर्ष हेतु अपेक्षित आय व व्यय को ध्यान में रखते हुए निर्धारित फार्म में तैयार किए जाने होते हैं और समिति के सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। समिति के सदन द्वारा बजट पारित किए जाने के पश्चात इसे अनुमोदन हेतु निदेशक, शहरी विकास के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2013-16 के दौरान नमूना जांच की गई नगर निगम, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों द्वारा बजट प्रावधान तथा व्यय की वर्ष-वार स्थिति **तालिका-13** में दी गई है।

तालिका-13: 16 नमूना जांच की गई शहरी स्थानीय निकायों में बजट आकलन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)	बचत का *प्रतिशत*
2013-14	275.47	118.56	156.91 (-)	57
2014-15	263.04	129.93	133.11 (-)	51
2015-16	269.95	184.16	85.79 (-)	32

टिप्पणी: इकाई-वार स्थिति **परिशिष्ट-18** में दी गई है।

तालिका-13 से स्पष्ट है कि बजट आकलन व्यवहारिक रूप में तैयार नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2013-16 के दौरान 32 से 57 *प्रतिशत* तक नियमित बचतें हुई। शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक ने बताया (मार्च 2017) कि शहरी स्थानीय निकायों को भविष्य में अपने बजट व्यवहारिक रूप में तैयार करने हेतु निदेश दिए जा रहे हैं।

4.3 बैंक मिलान विवरणियां तैयार न करना

राज्य नगरपालिका लेखा संहिता, 1975 के नियम 19(2) के अनुसार प्रत्येक दिन अधिशाषी अधिकारी द्वारा सामान्य रोकड़ बही मदवार जांची, बंद और हस्ताक्षरित की जाएगी। महीने के अंत पर इसे बैंक पासबुक के साथ मिलाया जाएगा। प्राप्ति एवं व्यय

[15] नगर निगम: शिमला तथा नगर पंचायत: जोगिन्द्रनगर।

की प्रत्येक मद की रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों के साथ जांच की जाएगी और अंतरों का सामान्य रोकड़ बही में लेखाबद्ध तथा उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

नगर परिषद[16] के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 की समाप्ति पर रोकड़ बहियों तथा बैंक पासबुकों के मध्य ₹ 15.90 करोड़ का अंतर था जिसका जनवरी 2017 तक नगर परिषद द्वारा मिलान नहीं किया गया था। बैंक विवरणियों के साथ मिलान नहीं किये जाने से लेखों की प्रमाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2017) कि भविष्य में अंतरों का मिलान किया जाएगा।

4.4 सामग्रियों का गैर-लेखाकरण

नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब द्वारा ₹ 2.84 लाख की सामग्री स्टॉक पंजिका में लेखांकित नहीं की गई थी।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, खंड-1 का नियम 15.4(क) प्रावधान करता है कि जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी जिसे देखना चाहिए कि मात्रा सही है और गुणवत्ता उत्तम है, द्वारा समस्त प्राप्त की गई सामग्री की डिलिवरी लेते समय जांच, गणना, माप, तोल, जैसा भी मामला हो, किया जाना चाहिए। सामग्री की प्राप्ति का एक प्रमाण पत्र अभिलिखित किया जाना है और यथोचित पंजिका में प्रविष्टि की जानी है।

नगरपालिका परिषद, पांवटा साहिब के अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि ₹ 2.84 लाख की लागत से खरीदी गई 960 सीमेंट की बोरियों को सम्बंधित स्टोर/स्टॉक पंजिका में लेखांकित नहीं किया गया था। अत: चोरी/हानि की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। यह नगरपालिका परिषद के पक्ष पर खराब अभिलेख अनुरक्षण का द्योतक भी था। प्रत्युत्तर में सम्बंधित नगरपालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी ने बताया (अक्तूबर 2016) कि स्टॉक पंजिकाओं में सम्बंधित प्रविष्टियां की जाएगी। तथापि तथ्य यह रहा कि सम्बंधित नगरपालिका परिषद द्वारा अभिलेखों के अनुरक्षण पर उचित निगरानी नहीं रखी जा रही थी।

4.5 राजस्व

4.5.1 बकाया गृह कर

निष्प्रभावी अनुश्रवण के कारण 12 शहरी स्थानीय निकायों में गृहकर के आधार पर ₹ 8.11 करोड़ का राजस्व बकाया था।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 का नियम 258(2) अनुबद्ध करता है कि नगरपालिका को देय राशि का 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए था जिसमें विफल रहने पर राशि की, समस्त लागत सहित, चूककर्त्ता की सम्पत्ति की कुर्की तथा बिक्रय द्वारा वसूली की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 01 अप्रैल 2015 तक 12 शहरी स्थानीय निकायों में ₹ 07.46 करोड़ का गृहकर बकाया था। वर्ष 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 4.00 करोड़ के गृहकर की मांग उठाई गई थी (**परिशिष्ट-19**)। जिसके एवज में ₹ 3.34 करोड़ की वसूली की गई और ₹ 0.01 करोड़ की छूट भी दी गई थी, इस प्रकार मार्च, 2016 तक इन 12 शहरी स्थानीय निकायों से ₹ 8.11 करोड़ कुल राजस्व गृहकर के अंतर्गत शेष बकाया था।

नगरपालिका परिषद, नाहन के बकाया गृहकर नमूना जांच के दृष्टिगत पाया गया कि वर्ष 2001-16 की अवधि में 42 घरों ने ₹ 23.77 लाख की रकम का गृहकर नहीं भरा था जिसके परिणामस्वरूप एक से 15 वर्ष की अवधि के दौरान बकाया राशि में बढ़ौतरी हुई। इससे इंगित हुआ कि उपर्युक्त नियम के अनुसार बहु-वर्षों हेतु बकाया किराया से अंतर्ग्रस्त मामलों पर कार्यवाही करने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई थी। सचिवों ने बताया (सितम्बर 2016-मार्च 2017) बकाया कर की वसूली की जाएगी। आगे यह बताया गया कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और वसूली हेतु प्रयास किए जाएगें।

[16] नगरपालिका परिषद: चम्बा: ₹ 2.15 लाख तथा नगरपालिकापरिषद पालमपुर: ₹ 13.75 लाख।

4.5.2 किराए की वसूली न करना

16 शहरी स्थानीय निकायों में दुकानों/बूथों/स्टालों से ₹ 7.30 करोड़ राशि के देय किराए की वसूली बकाया रही/

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 258 (i)(ख)(2) में प्रावधान है कि यदि नगरपालिका को देय किसी भी राशि का 15 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता है, तब अधिशाषी अधिकारी/सचिव सम्बंधित व्यक्तियों को डिमांड नोटिस दे सकता है।

यह पाया गया कि 16 शहरी स्थानीय निकायों में, एक अप्रैल 2015 तक इन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा स्वाधिकार की दुकानों/स्टालों के निर्धारितियों के विरूद्ध ₹ 6.91 करोड़ राशि के किराया प्रभार वसूली हेतु लम्बित थे (**परिशिष्ट-20**)। आगे, वर्ष 2015-16 के दौरान इन दुकानों/स्टालों के किरायेदारों/पट्टेदारों से ₹ 5.08 करोड़ की मांग उठाई गई थी। ₹ 11.99 करोड़ की कुल मांग के प्रति मार्च 2016 तक ₹ 4.69 करोड़ की वसूली की गई थी तथा ₹ 7.30 करोड़ की वसूली लम्बित थी। शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस दिए गए थे और शीघ्र ही राशि की वसूली की जाएगी।

4.5.3 मोबाइल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली न करना

15 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मोबाइल टावरों पर प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 34.06 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को मोबाइल संचारण टावरों के प्रतिष्ठापन पर ₹ 10,000 प्रति टावर की दर पर शुल्क और ₹ 5,000 की दर पर वार्षिक नवीनीकरण फीस का उद्ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत किया है (अगस्त 2006)।

15 शहरी स्थानीय निकायों में, 2004-16 के दौरान मोबाइल टावर प्रतिष्ठापित किए गए थे लेकिन मार्च 2016 तक सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने 258 टावरों के सम्बंध में ₹ 34.06 लाख के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण प्रभारों की वसूली नहीं की थी (**परिशिष्ट-21**)। इससे शहरी स्थानीय निकाय राजस्व में अपने देय हिस्से से वंचित रहे। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों ने बताया (जून 2016-मार्च 2017) कि शीघ्र ही देयों की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी।

4.5.4 स्वच्छता/सफाई कर, रेहड़ी तहबाजारी शुल्क और व्यापार कर की वसूली न करना

चार शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छता/सफाई कर, रेहड़ी, तहबाजारी शुल्क तथा व्यापार कर की वसूली में विफल रहे, परिणामत: ₹ 53.84 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 66 में प्रावधान है कि नगरपालिका को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी टोल, कर या शुल्क जैसे कि स्वच्छता कर, रेहड़ी/तहबाजारी शुल्क, व्यापार कर आदि लगाने का अधिकार है।

(i) दो नगरपालिका परिषदों (नाहन व परवाणू) की नमूना-जांच में पाया गया कि वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए ₹ 60.73 लाख की स्वच्छता/सफाई कर की कुल मांग के प्रति सितम्बर 2016 तक मात्र ₹ 12.89 लाख (21 *प्रतिशत*) की वसूली की गई थी तथा ₹ 47.84 लाख[17] लाख की राशि शेष बकाया थी। अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2016 से अक्तूबर 2016) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी कर बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) नमूना जांच में पाया गया कि दो शहरी स्थानीय निकायों (नगरपालिका परिषद, चम्बा व नगर निगम, शिमला) में मार्च 2016 तक रेहड़ी/तहबाजारी शुल्क ₹ 2.62 लाख[18] शेष वसूली के लिए बकाया था। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (जनवरी 2017) कि चूककर्त्ताओं को तहबाजरी शुल्क वसूलने के लिए नोटिस जारी किए जा

---

17 नगरपालिका परिषद नाहन: ₹ 36.89 लाख तथा नगपालिका परवाणु; ₹ 10.95 लाख।

18 नगरपालिका परिषद, चम्बा: ₹ 1.11 लाख तथा नगर निगम, शिमला: ₹ 1.51 लाख

चुके हैं। आगे बताया गया कि कुछ मामले अदालत में निर्णय के लिए लम्बित है और चूककर्त्ताओं से निर्णयानुसार वसूली की जाएगी।

(iii) नमूना जांच की गई दो नगरपालिका परिषदों (नाहन व परवाणू) में मार्च 2015 तक ₹ 2.77 लाख का व्यापार कर वसूली हेतु बकाया था। आगे, वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापारियों के विरूद्ध ₹ 0.83 लाख राशि की मांग उठाई गई। मार्च 2016 तक ₹ 3.60 लाख राशि की कुल मांग के प्रति ₹ 0.22 लाख राशि की वसूली की गई जबकि ₹ 3.38 लाख[19] राशि का व्यापार कर शेष छोड़ दिया गया। नगरपालिका परिषदों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2016-अक्तूबर 2016) कि चूककर्त्ताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और राशि की वसूली जल्द ही कर ली जाएगी।

इस प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय विभिन्न करों की वसूली न होने से राजस्व से वांचित रह गए, जिसका उपयोग अन्य विकास कार्यों के लिए किया जा सकता था।

4.5.5 पट्टे (लीज) की राशि की वसूली न करना

दुकानों तथा स्टालों से पट्टे (लीज) की राशि की वसूली में नगर निगम शिमला की असफलता के कारण ₹ 53.64 लाख के राजस्व की हानि।

वर्ष 2014-15 की अवधि के दौरान, नगर निगम, शिमला ने 153 किराएदारों को दुकाने/स्टाल पट्टे (लीज) पर दी थी। यह पाया गया कि मार्च 2015 तक 153 दुकानों तथ स्टालों पर बकाया ₹ 32.89 लाख की पट्टे की राशि की वसूली लम्बित रही। आगे, वर्ष 2015-16 के दौरान ₹ 67.88 लाख की मांग उठाई गई। मार्च 2016 तक ₹ 100.77 लाख की कुल मांग के प्रति ₹ 47.13 लाख की वसूली की गई जबकि ₹ 53.64 लाख की वसूली लम्बित छोड़ दी गई।

अधिशाषी अधिकारी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (जनवरी 2017) कि पट्टे की राशि की वसूली ना होने का मुख्य कारण स्टॉफ की कमी थी।

4.5.6 गृहकर न लगाना

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के नियम 65 में प्रावधान है कि नगरपालिका परिषद किसी भवन तथा भूमि के वार्षिक मूल्य में 7.5 *प्रतिशत* से अधिक व 12.5 *प्रतिशत* से कम का गृहकर लगा सकती है।

नगरपालिका परिषद, बद्दी के मामले में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगरपालिका परिषद, अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, रास्ते, स्ट्रीट लाईट्स, सफाई, कचरे का संग्रहण आदि जैसी गृह सम्बंधी विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहा है, परंतु उपर्युक्त सुविधाओं के क्रम में नगरपालिका परिषद उचित गृहकर नहीं लगा रहा (नहीं ले रहा)। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया (सितम्बर 2016) कि घरों का संचालन न होने के कारण गृहकर नहीं लगया गया था तथा सम्पत्ति कर लगाने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित सम्पत्ति कर सर्वेक्षण की तैयारी चल रही थी।

4.5.7 नगर निगम शिमला द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली न करना

पट्टेदारों से ₹ 1.77 करोड़ सम्पत्ति कर की वसूली ना करने के कारण नगर निगम शिमला अपने हिस्से के राजस्व से वंचित रह गया।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 90(1) में प्रावधान है कि मुख्य रूप से भूमि व भवनों के स्वामी/मालिक पर कर लगाए जाए तथा मालिक की अनुपस्थिति में किराएदारों सहित कब्जेधारी से कर वसूला जाए।

[19] नगरपालिका परिषद नाहन: ₹ 1.15 लाख तथा नगरपालिका परिषद परवाणू: ₹ 2.23 लाख।

नगर निगम शिमला के आंकड़ों की नमूना जांच से उजागर हुआ कि हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबंधन व विकास प्राधिकरण (पट्टादाता) और मैसर्ज सी0के0 इन्फ्रास्ट्रक्चर्र लिमिटेड (पट्टेदार) के मध्य 12 अक्तूबर 2011 में शिमला में टूटीकंडी बस टर्मिनल परियोजना के अंतर्गत डिजाईन, वित्त, निर्माण, कार्यान्वयन तथा परियोजना के प्रबंधन हेतु प्रोजेक्ट-साईट सब-लीज डीड (परियोजना स्थल उप-पट्टा विलेख) बनाई गई थी। उक्त विलेख (डीड) के खण्ड 17 में लिखा है कि भूमि और संरचना के पट्टे की अवधि के दौरान राज्य सरकार व नगरपालिका समितियों द्वारा लगाए गए सभी करों का भुगतान करने के लिए पट्टेदार उत्तरदायी होगा।

जांच में आगे उजागर हुआ कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान पट्टेदार के विरूद्ध नगर निगम शिमला ने ₹ 1.77 करोड़ का सम्पत्ति कर बिल उठाया था परंतु जनवरी 2017 तक सम्पत्ति कर की वसूली लम्बित रही। नगर निगम शिमला द्वारा कर की वसूली हेतु हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 124 में उल्लेखित कोई प्राथमिक क्रिया नहीं की। आयुक्त, नगर निगम ने बताया (जनवरी 2017) कि पट्टेदार ने इस अवलोकन के साथ बिल वापस कर दिया था कि यह (अचल सम्पत्ति) परिसर का मालिक नहीं था और मामला संभागीय आयुक्त शिमला मण्डल के समक्ष लम्बित है। यद्यपि सम्पत्ति कर की वसूली न होने से उक्त समयावधि में नगर निगम शिमला अपने हिस्से के राजस्व से वंचित रह गया।

4.6 निधियों का अवरोधन

4.6.1 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों का अवरोधन

10 शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों को आरम्भ न किए जाने तथा अपूर्ण कार्यों के कारण ₹ 4.39 करोड़ की निधियां अवरूद्ध रही।

(i) सात शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2006-16 के दौरान 104 विकास कार्यों[20] जैसे दीवारों, रोगी वाहन सड़कों सीवर लाईन, सामुदायिक केन्द्र पार्किंग स्थलों का निर्माण व रास्तों की मरम्मत आदि के निष्पादनार्थ ₹ 2.46 करोड़ राशि की निधियां उपलब्ध थी। ये कार्य छः माह से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरे करने है। तथापि, जनवरी 2017 तक इन निधियों में से कार्यों के निष्पादन पर कोई व्यय नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थी अपेक्षित लाभों से वंचित रह गए। सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (सितम्बर 2016-मार्च 2017) कि भूमि विवाद, संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण कार्य आरम्भ नहीं किए जा सके थे। उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि संहिताबद्ध औपचारिकताएं, कार्यों की संस्वीकृति तथा निधियों की अवमुक्ति के पूर्व ही पूर्ण की जानी चाहिए थी।

(ii) सात शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2005-06 से 2015-16 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत पार्किंग स्थलों का निर्माण, रास्ते, अपशिष्ट प्रबंधन, प्रकाश की स्थापना आदि जैसे 47 विकास कार्यों हेतु ₹ 3.84 करोड़ राशि की निधियां प्राप्त की गई थी इन कार्यों को एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था। जनवरी 2017 तक शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन निधियों में से ₹ 1.91 करोड़ उपयोग में ले लिए गए तथा ₹ 1.93 करोड़[21] की निधि (50 *प्रतिशत*) अप्रयुक्त रही। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारियों ने बताया (अक्तूबर 2016-जनवरी 2017) कि भूमि विवाद न्यायालयीन मामलों और उचित भू-खण्ड की अनुपलब्धता के कारण कार्यों को पूर्ण नहीं किया जा सका। तथापि तथ्य यह रहा कि कार्य अपूर्ण रहा तथा निधियां अप्रयुक्त रही व उचित भू-खण्ड की उपलब्धता का कार्यों की संस्वीकृति और निधियां अवमुक्त किए पर्व सुलझाया जाना था।

---

20 नगर निगम, शिमला: ₹ 165.19 लाख (53 कार्य), नगरपालिका परिषद नूरपुर: ₹ 8.04 लाख (07 कार्य); नगरपालिका परिषद चम्बा: ₹ 16.61 लाख (07 कार्य); नगरपालिका परिषद ऊना: ₹ 14.58 लाख (11 कार्य); नगरपालिका परिषद संतोषगढ़: ₹ 5.15 लाख (02 कार्य); नगरपालिका परिषद नाहन: ₹ 29.65 लाख (21 कार्य) तथा नगरपालिका परिषद परवाणू: ₹ 6.50 लाख (03 कार्य)।

21 नगरपालिका परिषद ऊना: ₹ 10.19 लाख (04 कार्य); नगरपालिका परिषद पावंटा साहिब: ₹ 61.55 लाख (05 कार्य); नगर निगम शिमला: ₹ 43.28 लाख (23 कार्य); नगरपालिका परिषद चम्बा: ₹ 12.67 लाख (11 कार्य); नगरपालिका परिषद नाहन: ₹ 15.35 लाख (01 कार्य); नगरपालिका परिषद पालमपुर: ₹ 8.16 लाख (01 कार्य) तथा नगर पंचायत तलाई: ₹41.53 लाख (02 कार्य)।

4.6.2 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का अवरोधन

नगरपालिका परिषद श्री नैना देवी जी को निदेशक, शहरी विकास विभाग शिमला ने 13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त ₹ 93.23 लाख की राशि प्रदान की (जनवरी 2014)। वित्तीय वर्ष 2013-14 में यह निधियां तीन क्षेत्रों अर्थात् पार्किंग स्थल (₹ 35.00 लाख) ड्रेनेज (जल निकास) (₹ 25.00 लाख) और अपशिष्ट प्रबंधन (₹ 33.23 लाख) में प्रयुक्त की गई।

अभिलेखों की जांच से उजागर हुआ कि नगरपालिका परिषद, श्री नैना देवी जी ने ₹ 93.23 लाख के पूरे विशेष अनुदान का, जनवरी 2017 तक उपयोग नहीं किया था। खड़े हुए पेड़ों को काटने की अनुमति चाहने के कारण चयनित स्थानों पर पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका, श्री नैना देवी जी को ड्रेनेज (जल निकासी) अपशिष्ट प्रबंधन हेतु दी गई निधियों को खर्च किए जाने की आवश्यकता थी यद्यपि संहिताबद्ध औपचारिकताओं की अपूर्णता के कारण निर्धारित समायावधि में प्रयुक्त नहीं की जा सकी। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया (जनवरी 2017) कि संहिताबद्ध औपचारिकताओं के चलते अनुदान का प्रयोग नहीं किया जा सका व स्टॉफ की कमी के कारण शुरू हुआ कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

4.6.3 14वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त निधियों का अवरोधन

14वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार विशेष कारणों हेतु शहरी तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त अनुदान उन निधियों के प्राप्त होने के छः माह के भीतर प्रयोग में ले लिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2015-16 के दौरान नगर पंचायत दौलतपुर चौक में 14वें वित्त आयोग के तहत ₹ 11.52 लाख की राशि प्राप्त की गई। दिसम्बर 2016 तक सम्पूर्ण राशि अप्रयुक्त रही क्योंकि नगर पंचायत समय पर अनुमानों को अंतिम रूप देने में विफल रही। सम्बंधित अधिशाषी अधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि परियोजना अधिकारी, संभागीय ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डी0आर0डी0ए0) ऊना द्वारा योजनाओं के संस्वीकृत अनुमानों का इंतजार किए जाने के कारण राशि अप्रयुक्त रही। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी और निधियों का उपयोग निर्धारित अवधि के भीतर हो जाना था।

4.6.4 सीवरेज योजनाओं हेतु प्राप्त निधियों का अवरोधन

वर्ष 2014-15 के दौरान नमूना-जांच की गई तीन शहरी स्थानीय निकायों[22] को सीवरेज योजनाओं के निष्पादन हेतु शहरी विकास विभाग ने ₹ 1.80 करोड़ राशि की निधियां प्रदान की थी। यह निधियां सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों में उनकी सीवरेज योजनाओं के आवश्यकतानुसार निष्पादन हेतु सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को आगे अवमुक्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनवरी 2017 तक सीवरेज योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया गया था तथा ये निधियां या तो सिंचाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के बैंक खाते में जमा थी (नगर पंचायत, गगरेट के मामल में) या नगरपालिका परिषदों (नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब तथा ऊना) के बचत बैंक खाते में भी परिणामस्वरूप निधियां अवरूद्ध रही। सीवरेज योजना के अनिष्पादित होने के कारण न तो अभिलेखों में उपलब्ध है, न ही सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किसी को सौंपा गया। यद्यपि सम्बंधित शहरी स्थानीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी व सचिव ने बताया (नवम्बर 2016 से जनवरी 2017) कि सीवरेज योजना के कार्य को शुरू करने के लिए सिंचाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से इस मामले पर बात की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियां, जारी होने की तारीख में दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अनुपयोगी पड़ी रही, इसके अलावा अपेक्षित लाभ भी नहीं हुआ।

---

22 नगर पंचायत गगरेट: ₹ 100.10 लाख; नगरपालिका परिषद पावंटा साहिब: ₹ 69.39 लाख तथा नगरपालिका परिषद ऊना ₹ 10.97 लाख।

4.7 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

वर्ष 1988-89 से 2016-17 के दौरान तीन नगरपालिका परिषदों ने पूर्ण अग्रिमों का समायोजन किए बिना ₹ 18.84 लाख के अस्थाई अग्रिम संस्वीकृत किए थे।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189(1) से (4) के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष सामान की खरीददारी अथवा सेवाएं किराये पर लेने हेतु अथवा किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य हेतु, जैसा कि निर्धारित है, सरकारी कर्मचारी को अग्रिमों की संस्वीकृति देने हेतु प्राधिकृत है। नियम में आगे प्रावधान है कि समायोजन हेतू बिल सहित शेष, यदि कोई है, अग्रिम के आहरण से 15 दिनों के भीतर जमा किए जाने चाहिए। दूसरा अग्रिम तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक सम्बंधित सरकारी कर्मचारी ने प्रथम अग्रिम का समायोजन लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 1988-89 तथा 2016-17 के दौरान दस सरकारी कर्मचारियों/लोक निर्माण विभाग को तीन नगरपालिका परिषदों (बद्दी, चम्बा व ऊना) में विकास कार्यों उत्सव-समारोह तथा चुनावी व्यय, खरीददारी आदि के लिए संस्वीकृत किया गया ₹ 18.84 लाख का अस्थाई अग्रिम जनवरी 2017 तक एक से 29 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए (**परिशिष्ट-22**) समायोजन हेतु लम्बित था। पूर्व अग्रिमों का समायोजन किए बिना अनुवर्ती अग्रिम दिए जा रहे थे। आगे, कुछ अधिकारी, पूर्ण अग्रिमों का समायोजन किए बगैर ही अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किए जा चूके थे। नगरपालिका परिषद, चम्बा में एक अधिकारी अपनी सेवाओं में सेवानिवृत्त हो गए थे, परंतु अप्रैल 1994 तथा अक्तूबर 2016 के मध्य उन्हें अग्रिम रूप में दी गई ₹ 9.27 लाख की अग्रिम निधि के समायोजन बिलों का भुगतान उनके सेवानिवृत्ति समय पर न विभाग द्वारा न उनके द्वारा किया गया यह उचित रूप से अग्रिमों के समायोजन हेतु संहिताबद्ध प्रावधानों को लागू करने में नगरपालिका परिषदों की शिथिलता को दर्शाता है।

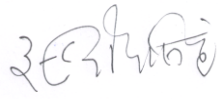

(इन्द्रदीप सिंह धारीवाल)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला
दिनांक:

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(संदर्भ परिच्छेद 1.1 तथा 3.1; पृष्ठ 1 तथा 19)

संविधान की 11वीं और 12वीं अनुसूचियों में सूचीबद्ध कार्यक्रमों का विवरण

क्रमांक	संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकसित किए गए 29 कार्यक्रमों का विवरण
1.	कृषि विस्तार सहित कृषि
2.	भूमि-सुधार, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन तथा मृदा-संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल-प्रबंधन तथा वाटरशेड (जल विभाजन) का विकास
4.	पशुपालन, दुग्ध उत्पादन तथा मुर्गी पालन
5.	मत्स्य पालन
6.	सामाजिक वाणिकी तथा कृषि वाणिकी
7.	लघु वन उत्पाद
8.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित लघु उद्योग
9.	खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग
10.	ग्रामीण आवास
11.	पेयजल
12.	ईंधन और चारा
13.	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग तथा यातायात के अन्य साधन
14.	ग्रामीण विद्युतिकरण तथा विद्युत का वितरण
15.	ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत
16.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
17.	शिक्षा तथा प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय
18.	तकनीकी प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक शिक्षा
19.	वयस्क तथा गैर-औपचारिक शिक्षा
20.	पुस्तकालय
21.	सांस्कृतिक गतिविधियां
22.	बाजार तथा मेले
23.	स्वास्थ्य तथा स्वच्छता साथ ही चिकित्सालय (हस्पताल) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा औषधालय
24.	परिवार कल्याण
25.	महिला तथा बाल विकास
26.	सामाजिक कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांग तथा मंदबुद्धि जनों का कल्याण
27.	कमजोर वर्ग का कल्याण जिसमें विशेषरूप से अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का कल्याण
28.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
29.	सामुदायिक सम्पत्ति का वितरण
क्रमांक	**संविधान की 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए विकासित किए गए 18 कार्यक्रमों का विवरण**
1.	शहरी नियोजन तथा नगर योजना
2.	भूमि उपयोग योजना तथा भवनों का निर्माण
3.	सामाजिक तथा आर्थिक विकास योजनाएं
4.	सड़कें तथा पुल
5.	घरेलू, औद्योगिक तथा व्यवसायिक उपयोग हेतु जल वितरण
6.	सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
7.	अग्निशमन सेवाएं
8.	शहरी वाणिकी, पर्यावरण की सुरक्षा तथा पारिस्थितिक पहलुओं का प्रचार
9.	विकलांगों तथा मंदबुद्धिजनों सहित कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना
10.	झुंग्गी झोपड़ी सुधार तथा उन्नयन
11.	शहरी गरीबी उन्मूलन
12.	नगर सुविधाओं का प्रावधान तथा पार्क, बगीचे तथा खेल मैदान जैसी सुविधाएं
13.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा सौदर्यबोध का प्रचार
14.	श्मशान तथा श्मशान घाट; दाह-संस्कार, दाह- संस्कार परिसर तथा विद्युत दाह-संस्कार
15.	पशुधन; पशु-क्रूरता में संरक्षण
16.	जन्म तथा मृत्यु का पंजियन समेत महत्त्वपूर्ण आंकड़े
17.	स्ट्रीट लाईटिंग पार्किंग स्थल, बस स्टॉप तथा सार्वजनिक आवागमन सहित सार्वजनिक सुविधाएं
18.	पशुवध गृह (बूचड़खाना) तथा चर्म शोधनालय का नियमन

परिशिष्ट-2

(संदर्भ 1.1; पृष्ठ 1)

पंचायती राज संस्थाओं को सौपें गए 15 लाईन विभागों का ब्यौरा

क्रमांक	लाईन विभाग
1.	कृषि
2.	पशुपालन
3.	आयुर्वेद
4.	शिक्षा
5.	खाद्य सामग्री
6.	वन
7.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
8.	बागवानी
9.	उद्योग
10.	सिंचाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य
11.	लोक निर्माण कार्य
12.	राजस्व
13.	ग्रामीण विकास
14.	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण
15.	मछली पालन

परिशिष्ट-3

(संदर्भ परिच्छेद 1.9 तथा 3.8; पृष्ठ 7 तथा 23)

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षित पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय का विवरण

जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद का नाम
1.	सोलन
2.	केलांग
3.	किन्नौर
4.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला
5.	कुल्लू
6.	ऊना

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम
1.	कुनिहार
2.	परागपुर
3.	चम्बा
4.	अम्ब
5.	बमसन स्थित टौणी देवी
6.	कुल्लू

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	होबार	भटीयात	चम्बा
2.	बलेरा	भटीयात	चम्बा
3.	रायपुर	भटीयात	चम्बा
4.	राजेरा	मेहला	चम्बा
5.	बलोठ	मेहला	चम्बा
6.	पूलन	भरमौर	चम्बा
7.	ठाकरी मट्टी	सलूणी	चम्बा
8.	पन्जेई	सलूणी	चम्बा
9.	थल्ली	तीसा	चम्बा
10.	यांगपा	निचार	किन्नौर
11.	गियू	काजा	लाहौल एवं स्पिती
12.	मैहढी	करसोग	मण्डी
13.	पंगणा	करसोग	मण्डी
14.	चिमरेट	उदयपुर	लाहौल एवं स्पिती
15.	ट्रोह	बल्ह	मण्डी
16.	सोझा	सुन्दरनगर	मण्डी
17.	बरतो	सुन्दरनगर	मण्डी
18.	सकरोहा	बल्ह	मण्डी
19.	खलवाहन	जंजैहली	मण्डी
20.	कसारला	बल्ह	मण्डी
21.	थाचाधार	जंजैहली	मण्डी
22.	कोना	लम्बागांव	मण्डी
23.	आलमपुर	लम्बागांव	कांगड़ा
24.	कुलाहन	नूरपुर	कांगड़ा
25.	लरूंह	फतेहपुर	कांगड़ा
26.	पपलाह	लम्बागांव	कांगड़ा
27.	रिट	लम्बागांव	कांगड़ा
28.	धार	सदर मण्डी	मण्डी
29.	हटपंग	फतेहपुर	कांगड़ा
30.	पंडोह	सदर मण्डी	मण्डी
31.	नढोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
32.	कथोग	दरंग	मण्डी
33.	सिहुंणी	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा

34.	जिलहन	दरंग	मण्डी
35.	लंगणा	चौंतडा	मण्डी
36.	रोपड़ी	चौंतडा	मण्डी
37.	मैरा	फतेहपुर	कांगड़ा
38.	बाडी	फतेहपुर	कांगड़ा
39.	मतेहड	चौंतडा	मण्डी
40.	खरोटा	फतेहपुर	कांगड़ा
41.	फतेहपुर	फतेहपुर	कांगड़ा
42.	धरमण	बैजनाथ	कांगड़ा
43.	बगली	धर्मशाला	कांगड़ा
44.	भत्तला	रैत	कांगड़ा
45.	कल्याड़ा	रैत	कांगड़ा
46.	रीडकमर	रैत	कांगड़ा
47.	भुनेड	नगरोटा बागवां	कांगड़ा
48.	हार	परागपुर	कांगड़ा
49.	गुरनवाड़	परागपुर	कांगड़ा
50.	स्पैडू	बैजनाथ	कांगड़ा
51.	नैण	बैजनाथ	कांगड़ा
52.	चुधरेड	परागपुर	कांगड़ा
53.	घोड़व	नगरोटा	कांगड़ा
54.	सनवाल	तीसा	चम्बा
55.	धर्मपुर	धर्मपुर	मण्डी
56.	चनौता	धर्मपुर	मण्डी
57.	चढ़ियार	पंचरूखी	कांगड़ा
58.	छैक	पंचरूखी	कांगड़ा
59.	सोरता	करसोग	मण्डी
60.	सुरडवी	इंदौरा	कांगड़ा
61.	रप्पड	इंदौरा	कांगड़ा
62.	धनगील	कंडाघाट	सोलन
63.	कांगल	नारकण्डा	शिमला
64.	बड़ागांव	नारकण्डा	शिमला
65.	नौणी मंजगांव	सोलन	सोलन
66.	दाडवा	धर्मपुर	सोलन
67.	प्रीणी	नगर	सोलन
68.	जरड भुटटी	कुल्लू	कुल्लू
69.	धाऊगी	बंजार	कुल्लू
70.	जगजीत नगर	धर्मपुर	सोलन
71.	संगहड	बंजार	कुल्लू
72.	पलोग	कुनिहार	सोलन
73.	कुण्डलू	नालागढ़	शिमला
74.	कशमीरपुर	नालागढ़	सोलन
75.	रचौली	रामपुर	शिमला
76.	लालसा	रामपुर	शिमला
77.	लौट	निरमंड	कुल्लू
78.	दुराह	आनी	कुल्लू
79.	मुहान	आनी	कुल्लू
80.	रोपा	आनी	कुल्लू
81.	थरोला	जुब्बल कोटखाई	शिमला
82.	नैहरा	बसंतपुर	शिमला
83.	हिमरी	बसंतपुर	शिमला
84.	मढोंल	जुब्बल कोटखाई	शिमला
85.	धराडा	रोहडू	शिमला
86.	टुटू मंजठाई	मशोबरा	शिमला
87.	मटेरनी	कुनिहार	शिमला

88.	कोटी बौंच	शिलाई	सिरमौर
89.	नाया	शिलाई	सिरमौर
90.	द्राविल	शिलाई	सिरमौर
91.	बहराल	पांवटा साहिब	सिरमौर
92.	बिक्रमवाग	नाहन	सिरमौर
93.	भोगपुर	नालागढ़	सोलन
94.	धगोली	छोहारा	शिमला
95.	सराह	पछाद	सिरमौर
96.	दाडो देवरिया	पछाद	सिरमौर
97.	खाला क्यार	संग्रह	सिरमौर
98.	संग्रह	संग्रह	सिरमौर
99.	शिवा	पांवटा साहिब	सिरमौर
100.	चम्बोह	बमसन	हमीरपुर
101.	धरोग	बमसन	हमीरपुर
102.	भकेडा	भौरंज	हमीरपुर
103.	भुलस्वोए	घुमारवीं	बिलासपुर
104.	बैरी रजादियां	सदर	बिलासपुर
105.	घंडालवी	घुमारवीं	बिलासपुर
106.	धवास	चौपाल	शिमला
107.	पट्टा	भौरंज	हमीरपुर
108.	मल्यावर	घुमारवीं	बिलासपुर
109.	बौर	चौपाल	शिमला
110.	टिब्बी	हमीरपुर	हमीरपुर
111.	ख्याह लोहाखरियां	हमीरपुर	हमीरपुर
112.	लडोली	अम्ब	ऊना
113.	चौआर	अम्ब	ऊना
114.	कोसरियां	झण्डूता	बिलासपुर
115.	सलवाड	झण्डूता	बिलासपुर
116.	झबोला	झण्डूता	बिलासपुर
117.	शमशी	कुल्लू	कुल्लू
118.	टीहरा	बंगाणा	ऊना
119.	थड़ा	बंगाणा	ऊना
120.	मावा कोला	गगरेट	ऊना
121.	ऑयल	गगरेट	ऊना
122.	हीरा	हरोली	ऊना
123.	बटूही	ऊना	ऊना
124.	पनोह	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
125.	रंगड	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
126.	लोहडर	बिझडी	हमीरपुर
127.	बीटन	हरोली	ऊना
128.	जलेल	मशोबरा	शिमला

नगर निगम

क्रमांक	नगर निगम का नाम
1.	शिमला

नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम
1.	कांगड़ा
2.	परवाणू
3.	बद्दी
4.	नाहन
5.	पावंटा साहिब
6.	पालमपुर
7.	संतोषगढ़
8.	नैना देवी

9.	ऊना
10.	चम्बा
11.	नूरपुर

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम
1.	गगरेट
2.	तलाई
3.	जोगिन्द्रनगर
4.	दौलतपुर चौक

परिशिष्ट-4

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.1; पृष्ठ 9)

वर्ष 2015-16 के दौरान पंचायती राज संस्था सॉफ्ट में अपलोड की गई ग्राम-पंचायतें तथा नमूना-जांच द्वारा लेखापरीक्षित प्राप्ति आंकड़ों व व्यय के मध्य अंतर

(₹ लाख)

क्रमांक	पंचायती राज संस्थाओं के नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्तियां	पंचायती राज संस्था सॉफ्ट में अपलोड की गई प्राप्तियां	अंतर	निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर व्यय	पंचायती राज संस्था सॉफ्ट में अपलोड व्यय	अंतर
1.	ग्राम पंचायत आलमपुर	22.36	7.53	14.83	19.3	11.87	7.43
2.	ग्राम पंचायत बद्दी	32.02	11.87	20.15	28.92	12.9	16.02
3.	ग्राम पंचायत बगली	16.66	10.08	6.58	8.02	8.29	-0.27
4.	ग्राम पंचायत बड़ागांव	47.86	17.98	29.88	26.85	1.09	25.76
5.	ग्राम पंचायत वरतो	39.36	14.94	24.42	37.02	24.1	12.92
6.	ग्राम पंचायत बटूई	31.83	15.84	15.99	21.38	15.41	5.97
7.	ग्राम पंचायत बहराल	20.19	2.75	17.44	1.89	5.02	-3.13
8.	ग्राम पंचायत भत्तल्ला	43.73	20.52	23.21	27.05	17.23	9.82
9.	ग्राम पंचायत भोगपुर	27.61	40.74	-13.13	22.1	25.02	-2.92
10.	ग्राम पंचायत भुलस्वांए	31.86	13.57	18.29	21.72	8.23	13.49
11.	ग्राम पंचायत भुनेड	74.8	11.43	63.37	63.53	12.07	51.46
12.	ग्राम पंचायत बीटन	58.45	31.99	26.46	45.57	18.58	26.99
13.	ग्राम पंचायत चुधरेड	37.07	29.93	7.14	28.8	30.19	-1.39
14.	ग्राम पंचायत चढ़ियार	35.75	11.4	24.35	32.22	6.85	25.37
15.	ग्राम पंचायत चनौता	49.44	7.47	41.97	41.22	2.39	38.83
16.	ग्राम पंचायत चिमरेट	46.77	28.19	18.58	33.2	1.35	31.85
17.	ग्राम पंचायत चौआर	38.24	15.23	23.01	21.15	9.79	11.36
18.	ग्राम पंचायत धंगील	34.09	30.95	3.14	35.8	31.67	4.13
19.	ग्राम पंचायत धरमण	30.69	21.2	9.49	15.58	15.61	-0.03
20.	ग्राम पंचायत धाऊगी	211.38	173.26	38.12	172.32	149.05	23.27
21.	ग्राम पंचायत धगोली	94.93	9.83	85.1	84.5	7.96	76.54
22.	ग्राम पंचायत दाडो देवरिया	36.97	7.05	29.92	36.66	2.99	33.67
23.	ग्राम पंचायत धर्मपुर	84.85	73.31	11.54	65.88	65.87	0.01
24.	ग्राम पंचायत धराडा	57.01	6.41	50.6	50.73	8.71	42.02
25.	ग्राम पंचायत धरोग	25.38	3.18	22.2	15.66	8.62	7.04
26.	ग्राम पंचायत धवास	38.45	12.77	25.68	38.48	1.47	37.01
27.	ग्राम पंचायत फतेहपुर	35.31	15.31	20	27.71	14.01	13.7
28.	ग्राम पंचायत दुराह	22.61	20.88	1.73	12.34	15.43	-3.09
29.	ग्राम पंचायत घंडालवी	62.67	19.62	43.05	40.55	20.58	19.97
30.	ग्राम पंचायत घोडव	38.96	17.36	21.6	34.43	16.4	18.03
31.	ग्राम पंचायत गुरनवाड़	8.35	1.22	7.13	4.15	0.41	3.74
32.	ग्राम पंचायत हार	27.79	16.28	11.51	17.08	17.58	-0.5
33.	ग्राम पंचायत हटपंग	25.51	15.07	10.44	23.5	15.28	8.22
34.	ग्राम पंचायत हिमरी	47.61	0.24	47.37	46.84	1.05	45.79
35.	ग्राम पंचायत जलेल	3.49	6.48	-2.99	8.48	10.05	-1.57
36.	ग्राम पंचायत जरड भुटटी	19.37	16.27	3.1	11.87	6.88	4.99
37.	ग्राम पंचायत झबोला	45.39	7.64	37.75	31.91	2.3	29.61

38.	ग्राम पंचायत जिलहन	65.38	3.97	61.41	32.87	30.12	2.75
39.	ग्राम पंचायत खसारला	9.92	5.58	4.34	9.92	17.12	-7.2
40.	ग्राम पंचायत कल्याडा	53.41	15.61	37.8	43.22	11.02	32.2
41.	ग्राम पंचायत कांगल	53.61	24.46	29.15	26.82	1.05	25.77
42.	ग्राम पंचायत कशमीरपुर	70.5	26.54	43.96	9.93	33.98	-24.05
43.	ग्राम पंचायत कथोग	32.11	22.73	9.38	24.4	14.18	10.22
44.	ग्राम पंचायत खलवाहन	153.88	23.06	130.82	133.02	7.42	125.6
45.	ग्राम पंचायत खरोटा	57.04	20.03	37.01	48.79	15.77	33.02
46.	ग्राम पंचायत कोना	35.56	27.01	8.55	29.44	27.04	2.4
47.	ग्राम पंचायत कुलाहन	42	11.63	30.37	25.38	4.66	20.72
48.	ग्राम पंचायत कुण्डलू	25.03	4.48	20.55	7.32	3.92	3.4
49.	ग्राम पंचायत लडोली	53.38	48.21	5.17	28.56	36.74	-8.18
50.	ग्राम पंचायत लालसा	24.79	24.99	-0.2	20.38	20.58	-0.2
51.	ग्राम पंचायत लांगणा	26.89	23.26	3.63	14.48	13.67	0.81
52.	ग्राम पंचायत ख्याह लोखरिया	17	8.45	8.55	5.3	5.04	0.26
53.	ग्राम पंचायत लोट	34.71	6.47	28.24	22.97	8.85	14.12
54.	ग्राम पंचायत मल्यावर	31.59	15.53	16.06	17.98	7.75	10.23
55.	ग्राम पंचायत मंढ़ोल	29.27	22.68	6.59	24.31	19.96	4.35
56.	ग्राम पंचायत मतेहड	22.98	18.39	4.59	10.68	9.62	1.06
57.	ग्राम पंचायत मटेरनी	47.93	26.61	21.32	17.88	22.22	-4.34
58.	ग्राम पंचायत मावा कोला	24.32	17.6	6.72	12.25	12.86	-0.61
59.	ग्राम पंचायत मैहढ़ी	24.55	25.09	-0.54	15.41	10.67	4.74
60.	ग्राम पंचायत मैरा	20.02	11.07	8.95	8.48	11.67	-3.19
61.	ग्राम पंचायत मुहान	81.6	27.85	53.75	20.08	19.84	0.24
62.	ग्राम पंचायत नढ़ोली	54.18	20.3	33.88	47.47	20.63	26.84
63.	ग्राम पंचायत नाया	39.29	12.76	26.53	27.52	3.58	23.94
64.	ग्राम पंचायत नैहरा	30.12	2.99	27.13	24.82	6.81	18.01
65.	ग्राम पंचायत ऑयल	33.37	35.84	-2.47	25.4	25.46	-0.06
66.	ग्राम पंचायत पंडोह	28.4	22.55	5.85	8.14	11.04	-2.9
67.	ग्राम पंचायत पलोग	21.51	18.89	2.62	4.9	9.07	-4.17
68.	ग्राम पंचायत पांगणा	42.02	58.77	-16.75	19.37	37.9	-18.53
69.	ग्राम पंचायत पनोह	37.33	23.2	14.13	20.05	18.88	1.17
70.	ग्राम पंचायत पटटा	26.45	2.55	23.9	11.32	0.68	10.64
71.	ग्राम पंचायत प्रीणी	60.43	25.15	35.28	37.09	17.35	19.74
72.	ग्राम पंचायत पुलन	21.75	2.41	19.34	15.65	3.53	12.12
73.	ग्राम पंचायत रचौली	63.03	18.45	44.58	43.35	18.26	25.09
74.	ग्राम पंचायत रंगड़	27.6	6.16	21.44	13.75	1.87	11.88
75.	ग्राम पंचायत रीडकमर	32.82	3.97	28.85	26.69	3.15	23.54
76.	ग्राम पंचायत रोपा	36.52	42.9	-6.38	32.86	29.42	3.44
77.	ग्राम पंचायत रोपड़ी	15.93	6.15	9.78	4.66	4.27	0.39
78.	ग्राम पंचायत रप्पड	34.32	33.69	0.63	23.92	31.38	-7.46
79.	ग्राम पंचायत सिंगाड	107.11	49.28	57.83	86.56	29.85	56.71
80.	ग्राम पंचायत संग्रह	21.34	16.96	4.38	20.86	19.73	1.13
81.	ग्राम पंचायत स्पैडू	13.75	7.56	6.19	4.16	4.16	0
82.	ग्राम पंचायत सराहन	63.81	38.68	25.13	53.81	49.12	4.69

83.	ग्राम पंचायत सोरता	24.51	25.4	−0.89	7.64	17.41	−9.77
84.	ग्राम पंचायत समशी	30.21	24.18	6.03	11.29	7.5	3.79
85.	ग्राम पंचायत शिवा	10.39	10	0.39	8.9	7.39	1.51
86.	ग्राम पंचायत सोझा	21.05	4.93	16.12	9.65	6.02	3.63
87.	ग्राम पंचायत सुरडवां	38.96	13.87	25.09	34.43	4.01	30.42
88.	ग्राम पंचायत सकरोहा	33.63	31.23	2.4	22.14	22.76	−0.62
89.	ग्राम पंचायत थाचाधार	102.07	29.95	72.12	96.07	22.93	73.14
90.	ग्राम पंचायत थडा	32.15	22.23	9.92	20.39	24.51	−4.12
91.	ग्राम पंचायत थरोला	41.72	8.23	33.49	20.13	6.52	13.61
92.	ग्राम पंचायत टिब्बी	29.2	7.57	21.63	21.59	8.42	13.17
93.	ग्राम पंचायत टीहरा	21.4	22.94	−1.54	18.36	21.47	−3.11
94.	ग्राम पंचायत ट्रोह	66	27	39	35.43	27.9	7.53
95.	ग्राम पंचायत टुटू मजठाई	39.66	19.79	19.87	19.9	1.22	18.68
96.	ग्राम पंचायत बिक्रमवाग	41.71	1.72	39.99	29.15	3.3	25.85
97.	ग्राम पंचायत धार	32.69	21.67	11.02	14.31	14.52	−0.21
98.	ग्राम पंचायत चंबोह	34.63	1.22	33.41	21.59	5.57	16.02
99.	ग्राम पंचायत बैरी रजादियां	31.86	0.92	30.94	21.72	0.69	21.03
100.	ग्राम पंचायत पपलाह	16.15	7.45	8.7	9.45	7.15	2.3
101.	ग्राम पंचायत रिट	11.7	10.07	1.63	5.7	6.09	−0.39
102.	ग्राम पंचायत लरूंह	41.37	24.01	17.36	30.43	18.47	11.96
योग		**4154.42**	**1990.68**	**2163.74**	**2874.90**	**1568.04**	**1306.86**

परिशिष्ट-5

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.2; पृष्ठ 9)

पंचायती राज सॉफ्ट में रोकड़ बही का गैर अनुरक्षण तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति निर्देशिका पर परिसम्पत्तियों का गैर रख-रखाव

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	जिलहन	दरंग स्थित पधर	मण्डी
2.	धार	सदर मण्डी	मण्डी
3.	गियू	स्पिति स्थित काजा	लाहौल एवं स्पिति
4.	मंढ़ोल	जुब्बल कोटखाई	शिमला
5.	कोना	लम्बागांव	कांगड़ा
6.	पंडोह	सदर मण्डी	मण्डी
7.	आलमपुर	लम्बागांव	कांगड़ा
8.	पपलाह	लम्बागांव	कांगड़ा
9.	रंगड	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
10.	पनोह	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
11.	लोहडर	बिझडी	हमीरपुर
12.	लडोली	अम्ब	ऊना
13.	खलवाहन	जंजैहली	मण्डी
14.	टीहरा	बंगाणा	ऊना
15.	मावा कोला	गगरेट	ऊना
16.	रोपड़ी	चौंतडा	मण्डी
17.	मतेहड़	चौंतडा	मण्डी
18.	सकरोहा	बल्ह स्थित नैर चौक	मण्डी
19.	ऑयल	गगरेट	ऊना
20.	थडा	बंगाणा	ऊना
21.	चौआर	अम्ब	ऊना
22.	लांगणा	चौंतडा	मण्डी
23.	सिहूणी	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
24.	नढ़ोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
25.	कथोग	दरंग स्थित पधर	मण्डी
26.	थाचाधार	जंजैहली	मण्डी
27.	ठाकरी मट्टी	सलूणी	चम्बा
28.	कांगल	नारकण्डा	शिमला
29.	बडागांव	नारकण्डा	शिमला
30.	जरड भुटटी	कुल्लू	कुल्लू
31.	प्रीणी	नगर	कुल्लू

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम
32.	धाऊगी	बंजार	कुल्लू
33.	मटेरनी	कुनिहार	सोलन
34.	धराडा	रोहड़ू	शिमला
35.	यांगपा	निचार	किन्नौर
36.	थरोला	जुब्बल कोटखाई	शिमला
37.	कोसरियां	झण्डूता	बिलासपुर
38.	सलवाड	झण्डूता	बिलासपुर
39.	सनवाल	तीसा	चम्बा
40.	रजेरा	मेहला	चम्बा
41.	पूलन	भरमौर	चम्बा
42.	रचोली	रामपुर	शिमला
43.	बलेरा	भटियात	चम्बा
44.	पन्जई	सलूणी	चम्बा
45.	संगदाह	संगदह	सिरमौर
46.	धगोली	छोहारा	शिमला
47.	टुटू मंजठाई	मशोबरा	शिमला
48.	भोगपुर	नालागढ़	सोलन
49.	कुलाहन	नूरपुर	कांगड़ा
50.	बिक्रमवाग	नाहन	सिरमौर
51.	रिट	लम्बागांव	कांगड़ा
52.	मल्यावर	घुमारवीं	बिलासपुर
53.	पट्टा	भौरंज	हमीरपुर
54.	भुलस्वांए	घुमारवीं	बिलासपुर
55.	घंडालवी	घुमारवीं	बिलासपुर
56.	धरोग	बमसन	हमीरपुर
57.	भकेडा	भौरंज	हमीरपुर
58.	संगहड	बंजार	कुल्लू
59.	हटपंग	फतेहपुर	कांगड़ा
60.	चम्बोह	बमसन	हमीरपुर
61.	दाडो देवरिया	पछाड़	सिरमौर
62.	खाला क्यार	संग्रह	सिरमौर
63.	सराहन	पछाड़	सिरमौर
64.	शिवा	पांवटा साहिब	सिरमौर
65.	बलोठ	मेहला	चम्बा
66.	थल्ली	तीसा	चम्बा

परिशिष्ट-6

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.3; पृष्ठ 10)

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद्
1.	केलांग

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम
1.	भोगपुर	नालागढ़	सोलन
2.	टुटू मंजठाई	मशोबरा	शिमला
3.	यांगपा	निचार	किन्नौर
4.	मटेरनी	कुनिहार	सोलन
5.	गियू	स्पिति स्थित काजा	लाहौल एवं स्पिति
6.	नैहरा	बसंतपुर	शिमला
7.	हिमरी	बसंतपुर	शिमला
8.	बिक्रमवाग	नाहन	सिरमौर
9.	द्राविल	शिलाई	सिरमौर
10.	भराल	पावंटा साहिब	सिरमौर
11.	नाया	शिलाई	सिरमौर
12.	कोना	लम्बागांव	कांगड़ा
13.	पंडोह	सदर मण्डी	मण्डी
14.	धार	सदर मण्डी	मण्डी
15.	आलमपुर	लम्बागांव	कांगड़ा
16.	खलवाहन	नूरपुर	कांगड़ा
17.	रिट	लम्बागांव	कांगड़ा
18.	मल्यावर	घुमारवीं	बिलासपुर
19.	पटटा	भौरंज	हमीरपुर
20.	पपलाह	लम्बागांव	कांगड़ा
21.	लरूह	फतेहपुर	कांगड़ा
22.	भुलस्वांए	घुमारवीं	बिलासपुर
23.	घंडालवी	घुमारवीं	बिलासपुर
24.	धरोग	बमसन	हमीरपुर
25.	भकेडा	भौरंज	हमीरपुर
26.	कोसरियां	झण्डुता	बिलासपुर
27.	रप्पड़	इन्दौरा	कांगड़ा
28.	जलेल	मशोबरा	शिमला
29.	रंगड़	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
30.	पनोह	सुजानपुर टिहरा	हमीरपुर
31.	जिलहन	दरंग स्थित पधर	मण्डी
32.	धरमण	बैजनाथ	कांगड़ा
33.	लोहडर	बिझड़ी	हमीरपुर
34.	लडोली	अम्ब	ऊना
35.	पलोग	कुनिहार	सोलन
36.	लोट	निरमण्ड	कुल्लू
37.	लालसा	रामपुर	शिमला
38.	ट्रोह	बल्ह स्थित नैर चौक	मण्डी

39.	सुरडवां	इंदौरा	कांगड़ा
40.	धगोली	छोहारा	शिमला
41.	टीहरा	बंगाणा	ऊना
42.	मावा कोला	गगरेट	ऊना
43.	रोपड़ी	चौंतड़ा	मण्डी
44.	मतेहड	चौंतड़ा	मण्डी
45.	सकरोहा	बल्ह स्थित नैर चौक	मण्डी
46.	ऑयल	गगरेट	ऊना
47.	थडा	बंगाणा	ऊना
48.	संगहड़	बंजार	कुल्लू
49.	धर्मपुर	धर्मपुर	मण्डी
50.	सनवाल	तीसा	चम्बा
51.	स्पैडू	बैजनाथ	कांगड़ा
52.	चौआर	अम्ब	ऊना
53.	लांगणा	चौंतड़ा	मण्डी
54.	घसहुंणी	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
55.	नढोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
56.	हटपंग	फतेहपुर	कांगड़ा
57.	हार	परागपुर	कांगड़ा
58.	नैण	बैजनाथ	कांगड़ा
59.	गुरनवाड	परागपुर	कांगड़ा
60.	चढ़ियार	पंचरूखी	कांगड़ा
61.	चुधरेड	परागपुर	कांगड़ा
62.	कथोग	दरंग स्थित पधर	मण्डी
63.	पूलन	भरमौर	चम्बा
64.	कुण्डलू	नालागढ़	सोलन
65.	चम्बोह	बमसन (टौणी देवी)	हमीरपुर
66.	संग्रह	संग्रह	सिरमौर
67.	दाडो देवरिया	पछाड़	सिरमौर
68.	खाला क्यार	संग्रह	सिरमौर
69.	सराहन	पछाड़	सिरमौर
70.	शिवा	पांवटा साहिब	सिरमौर
71.	धंगिल	कण्डाघाट	सोलन
72.	ठाकरी मट्टी	सलूणी	चम्बा
73.	पन्जेई	सलूणी	चम्बा
74.	कांगल	नारकण्डा	शिमला
75.	थल्ली	तीसा	चम्बा
76.	दाडवा	धर्मपुर	सोलन
77.	बडागांव	नारकण्डा	शिमला
78.	नौणी मजगांव	सोलन	सोलन
79.	जरड भुटटी	कुल्लू	कुल्लू
80.	प्रीणी	नग्गर	कुल्लू
81.	धाऊगी	बंजार	कुल्लू

स्रोत: लेखापरीक्षा परिणाम

परिशिष्ट-7

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.5; पृष्ठ 10)

बैंक पासबुकों और रोकड़ वहियों के मध्य अंतर का मिलान न करना

1. मामले जहां बैंक पासबुक रोकड़ बही से कम शेष दर्शाती है

पंचायत समिति

(₹ लाख)

क्रमांक	पंचायत समिति का नाम	जिला	31 मार्च 2016 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	अम्ब	ऊना	48.03	141.28	93.25
2.	चम्बा	चम्बा	93.37	113.90	20.53
3.	परागपुर	कांगड़ा	82.39	118.51	36.12
		योग (i)	**223.79**	**373.69**	**149.90**

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	31 मार्च 2016 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	जगजीत नगर	धर्मपुर	सोलन	16.25	16.26	0.01
2.	घोडव	नगरोटा बगवां	कांगड़ा	4.41	4.53	0.12
3.	कांगल	नारकण्डा	शिमला	22.04	22.29	0.25
			योग (ii)	**42.70**	**43.08**	**0.38**
			सकल योग (i) तथा (ii)	**266.49**	**416.77**	**150.28**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

2. मामले जहां रोकड़ बही पासबुक से कम शेष दर्शाती है

जिला परिषद्

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला परिषद् का नाम	31 मार्च 2016 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	कांगड़ा	4,113.69	2,278.48	1,835.21
2.	केलांग	53.98	33.89	20.09
	योग (i)	**4,167.67**	**2,312.37**	**1,855.30**

पंचायत समिति

क्रमांक	पंचायत समित का नाम	जिला	31 मार्च 2016 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	कुनिहार	सोलन	107.42	34.66	72.76
		योग (ii)	**107.42**	**34.66**	**72.76**

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	31 मार्च 2016 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
1.	बिक्रमवाग	नाहन	सिरमौर	4.14	0.52	3.62
2.	द्राविल	शिलाई	सिरमौर	6.22	1.78	4.44
3.	जलेल	मशोबरा	शिमला	13.17	13.06	0.11
4.	कुलाहन	नूरपुर	कांगड़ा	0.78	0.17	0.61
5.	लोहडर	बिझड़ी	हमीरपुर	1.38	1.18	0.20

क्रमांक	ग्राम पंचायत के नाम	खण्ड	जिला	31 मार्च 2016 को पासबुक के अनुसार शेष	31 मार्च 2016 को रोकड़ बही के अनुसार शेष	अंतर
6.	लढ़ोली	अम्ब	ऊना	24.81	13.06	11.75
7.	ख्याह लोखरियां	हमीरपुर	हमीरपुर	4.60	4.42	0.18
8.	रीडकमर	रैत	कांगड़ा	6.16	5.79	0.37
9.	सोझा	सुन्दरनगर	मण्डी	11.40	0.04	11.36
10.	बरतो	सुन्दरनगर	मण्डी	6.04	5.41	0.63
11.	सोरता	करसोग	मण्डी	9.31	8.87	0.44
12.	धगोली	छोहारा	शिमला	10.37	0.54	9.83
13.	संगहड़	बंजार	कुल्लू	8.66	0	8.66
14.	मैरा	फतेहपुर	कांगड़ा	0.61	0.30	0.31
15.	सनवाल	तीसा	चम्बा	14.78	0.04	14.74
16.	पूलन	भरमौर	चम्बा	5.88	0.12	5.76
17.	दाडो देवरिया	पछाड़	सिरमौर	2.45	0.05	2.40
18.	मैहढी	करसोग	मण्डी	27.95	0	27.95
19.	शिवा	पावंटा साहिब	सिरमौर	4.65	0.40	4.25
20.	पांगणा	करसोग	मण्डी	22.65	21.05	1.60
21.	ठाकरी मट्टी	सलूणी	चम्बा	9.92	0.21	9.71
22.	प्रीणी	नग्गर	कुल्लू	26.57	0	26.57
23.	पन्जेई	सलूणी	चम्बा	17.14	0.02	17.12
24.	बडागांव	नारकण्डा	शिमला	28.75	25.72	3.03
25.	जराड भटटी	कुल्लू	कुल्लू	17.07	0	17.07
26.	थल्ली	तीसा	चम्बा	5.30	0.27	5.03
			योग (iii)	**290.76**	**103.02**	**187.74**
			सकल योग (i), (ii) तथा (iii)	**4,565.85**	**2,450.05**	**2,115.70**

रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के मध्य अंतर का सार

क्रमांक	इकाईयों की तरह	इकाईयों की संख्या	रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक के मध्य अंतर
1.	जिला परिषद्	2	1,855.30
2.	पंचायत समिति	4	222.66
3.	ग्राम पंचायत	29	188.12
	योग	**35**	**2,266.08**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-8

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.6; पृष्ठ 11)

भौतिक सत्यापन का गैर-संचालन

जिला परिषद्

क्रमांक	जिला परिषद्
1.	कांगड़ा

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला का नाम
1.	यांगपा	निचार	किन्नौर
2.	गियू	लाहौल एवं स्पिति	लाहौल एवं स्पिति
3.	नैहरा	बसंतपुर	शिमला
4.	हिमरी	बसंतपुर	शिमला
5.	कोटी वौंच	शिलाई	सिरमौर
6.	भोगपुर	नालागढ़	सोलन
7.	बिक्रमवाग	नाहन	सिरमौर
8.	द्राविल	शिलाई	सिरमौर
9.	बहराल	पांवटा साहिब	सिरमौर
10.	नाया	शिलाई	सिरमौर
11.	कोना	लम्बागांव	कांगड़ा
12.	धवास	चौपाल	शिमला
13.	आलमपुर	लम्बागांव	कांगड़ा
14.	बौर	चौपाल	शिमला
15.	कुलाहन	नूरपुर	कांगड़ा
16.	रिट	लम्बागांव	कांगड़ा
17.	मल्यावर	घुमारवीं	बिलासपुर
18.	पट्टा	भौरंज	हमीरपुर
19.	पपलाह	लम्बागांव	कांगड़ा
20.	लरूंह	फतेहपुर	कांगड़ा
21.	भुलस्वांए	घुमारवीं	बिलासपुर
22.	घंडालवी	घुमारवीं	बिलासपुर
23.	बैरी रजादियां	सदर	बिलासपुर
24.	धरोग	बमसन (टौणी देवी)	हमीरपुर
25.	भकेडा	भौरंज	हमीरपुर
26.	जलेल	मशोबरा	शिमला
27.	धरमण	बैजनाथ	कांगड़ा

28.	ख्याह लोखरियां	हमीरपुर	हमीरपुर
29.	पलोग	कुनिहार	सोलन
30.	दुराह	निरमण्ड	कुल्लू
31.	लालसा	रामपुर	शिमला
32.	धगोली	छोहारा	शिमला
33.	मैरा	फतेहपुर	कांगड़ा
34.	बाड़ी	फतेहपुर	कांगड़ा
35.	धर्मपुर	धर्मपुर	मण्डी
36.	स्पैडू	बैजनाथ	कांगड़ा
37.	चौआर	अम्ब	ऊना
38.	सिहुंणी	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
39.	नढोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा
40.	हटपंग	फतेहपुर	कांगड़ा
41.	हार	परागपुर	कांगड़ा
42.	नैण	बैजनाथ	कांगड़ा
43.	गुरनवाड	परागपुर	कांगड़ा
44.	खरोटा	फतेहपुर	कांगड़ा
45.	चुधरेड	परागपुर	कांगड़ा
46.	जगजीत नगर	धर्मपुर	सोलन
47.	कशमीरपुर	नालागढ़	सोलन
48.	कुण्डलू	नालागढ़	सोलन
49.	चम्बोह	बमसन (टौणी देवी)	हमीरपुर
50.	संग्रह	संग्रह	सिरमौर
51.	दाडो देवरिया	पछाड़	सिरमौर
52.	खाला क्यार	संग्रह	सिरमौर
53.	सराहन	पछाड़	सिरमौर
54.	मैहढ़ी	करसोग	मण्डी
55.	शिवा	पांवटा साहिब	सिरमौर
56.	धंगिल	कण्डाघाट	सोलन
57.	कांगल	नारकण्डा	शिमला

58.	बड़ागांव	नारकण्डा	शिमला
59.	प्रीणी	नग्गर	कुल्लू
60.	धाऊगी	बंजार	कुल्लू

परिशिष्ट-9

(संदर्भ परिच्छेद 2.1.7; पृष्ठ 11)

सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा सामग्रियों के गैर-लेखांकन का ब्यौरा

ग्राम पंचायत

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम	खरीद की अवधि	राशि
1.	कोटी वौंच	शिलाई	सिरमौर	2013-2015	4.72
2.	रप्पड़	इंदौरा	कांगड़ा	2012-2016	2.09
3.	कोसरियां	झण्डुता	बिलासपुर	2012-2015	0.33
4.	भुलस्वांए	घुमारवीं	बिलासपुर	2011-2016	2.92
5.	मल्यावर	घुमारवीं	बिलासपुर	2015-2016	1.12
6.	रिट	लम्बागांव	कांगड़ा	2011-2015	2.05
7.	आलमपुर	लम्बागांव	कांगड़ा	2011-2015	3.40
8.	धार	सदर मण्डी	मण्डी	2010-2013	1.26
9.	पपलाह	लम्बागांव	कांगड़ा	2012-2015	3.15
10.	पण्डोह	सदर मण्डी	मण्डी	2011-2015	1.36
11.	कोना	लम्बागांव	कांगड़ा	2012-2016	6.61
12.	नाया	शिलाई	सिरमौर	2015-2016	1.91
13.	जिलहन	दरंग स्थित पधर	मण्डी	2013-2015	1.02
14.	लोहडर	बिझड़ी	हमीरपुर	2012-2014	2.04
15.	चनौता	धर्मपुर	मण्डी	2012-2015	0.82
16.	टीहरा	बंगाणा	ऊना	2011-2012	3.32
17.	खलवाहन	जंजैहली	मण्डी	2011-2012	1.86
18.	तरोह	बल्ह स्थित नैर चौक	मण्डी	2011-2014	2.03
19.	सरोता	करसोग	मण्डी	2011-2016	0.17
20.	छैक	पंचरूखी	कांगड़ा	2011-2013	0.81
21.	रोपड़ी	चौंतड़ा	मण्डी	2011-2014	4.68
22.	मटेहर	चौंतड़ा	मण्डी	2011-2016	12.04
23.	सकरोहा	बल्ह	मण्डी	2013-2014	1.49
24.	ऑयल	गगरेट	ऊना	2011-2015	8.93
25.	नौणी मंजगांव	सोलन	सोलन	2010-2016	14.03
26.	पंगाणा	करसोग	मण्डी	2013-2016	6.44
27.	चीमरेट	उदयपुर	लाहौल एवं स्पिति	2011-2016	14.94
28.	शिवा	पांवटा साहिब	सिरमौर	2011-2016	1.14
29.	सारांहा	पछाड़	सिरमौर	2015-2016	7.17
30.	दाडो देवरिया	पछाड़	सिरमौर	2011-2016	3.10
31.	संग्रह	संगरह	सिरमौर	2011-2016	5.35
32.	कथोग	दरंग स्थित पधर	मण्डी	2011-2012	2.75
33.	चढ़ियार	पंचरूखी	कांगड़ा	2011-2016	0.25

34.	गुरनवाड	परागपुर	कांगड़ा	2011–2015	3.03
35.	नैण	बैजनाथ	कांगड़ा	2011–2015	1.90
36.	नढ़ोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2012–2015	3.89
37.	सिहूंणी	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2012–2016	2.48
38.	लांगणा	चौंतड़ा	मण्डी	2012–2014	2.54
39.	धर्मपुर	धर्मपुर	मण्डी	2011–2016	0.50
				योग	**139.64**

परिशिष्ट-10

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 11)

सम्बंधित ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर की अवसूली का ब्यौरा

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम	राशि
1.	स्पैडू	बैजनाथ	कांगड़ा	0.05
2.	जलेल	मशोबरा	शिमला	0.35
3.	मटेरनी	कुनिहार	सोलन	0.10
4.	गियू	स्पिति स्थित काजा	लाहौल एवं स्पिति	0.11
5.	नैहरा	बसंतपुर	शिमला	0.03
6.	बिक्रम वाग	नाहन	सिरमौर	0.11
7.	नाया	शिलाई	सिरमौर	0.32
8.	धवास	चौपाल	शिमला	0.27
9.	पंडोह	सदर मण्डी	मण्डी	0.43
10.	धार	सदर मण्डी	मण्डी	0.26
11.	बौर	चौपाल	शिमला	0.72
12.	कुलाहन	नूरपुर	कांगड़ा	0.10
13.	मल्यावर	घुमारवीं	बिलासपुर	1.08
14.	भुलस्वांए	घुमारवीं	बिलासपुर	0.68
15.	घंडालवी	घुमारवीं	बिलासपुर	0.30
16.	बैरी रजादियां	सदर मण्डी	मण्डी	0.22
17.	कोसरियां	झण्डुता	बिलासपुर	0.06
18.	रप्पड़	इंदौरा	कांगड़ा	0.14
19.	भत्तला	धर्मशाला	कांगड़ा	0.46
20.	कल्याडा	रैत	कांगड़ा	0.22
21.	रीडकमर	रैत	कांगड़ा	0.02
22.	जिलहन	दरंग स्थित पधर	मण्डी	0.06
23.	धरमण	बैजनाथ	कांगड़ा	0.05
24.	बीटन	हरोली	ऊना	0.31
25.	शमशी	कुल्लू	कुल्लू	0.07
26.	छनोटा	धर्मपुर	मण्डी	0.39
27.	ख्याह लोखरियां	हमीरपुर	हमीरपुर	0.32
28.	टीहरा	बंगाणा	ऊना	0.21
29.	लौट	निरमण्ड	कुल्लू	0.42

30.	दुराह	निरमण्ड	कुल्लू	0.04
31.	सोझा	सुन्दर नगर	मण्डी	0.14
32.	बारतो	सुन्दरनगर	मण्डी	0.21
33.	छैक	पंचरूखी	कांगड़ा	0.21
34.	सुरडवां	इंदौरा	कांगड़ा	0.71
35.	धगोली	छोहारा	शिमला	0.25
36.	हीरा	हरोली	ऊना	0.29
37.	बाडी	फतेहपुर	कांगड़ा	1.56
38.	मैरा	फतेहपुर	कांगड़ा	0.76
39.	संगहड	बंजार	कुल्लू	0.04
40.	ऑयल	गगरेट	ऊना	0.13
41.	रोपड़ी	चौंतड़ा	मण्डी	0.21
42.	मावा कोलां	गगरेट	ऊना	0.33
43.	सलवाड़	झण्डुता	बिलासपुर	1.05
44.	धर्मपुर	धर्मपुर	मण्डी	0.69
45.	सनवाल	तीसा	चम्बा	0.35
46.	लांगणा	चौंतड़ा	मण्डी	0.82
47.	नढोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	0.29
48.	हटपंग	फतेहपुर	कांगड़ा	0.03
49.	हार	परागपुर	कांगड़ा	0.09
50.	बगली	धर्मशाला	कांगड़ा	0.17
51.	नैण	बैजनाथ	कांगड़ा	0.33
52.	गुरनवाड़	परागपुर	कांगड़ा	0.30
53.	खरोटा	फतेहपुर	कांगड़ा	0.17
54.	चुधरेड	परागपुर	कांगड़ा	0.13
55.	घोदेव	नगरोटा बागवां	कांगड़ा	0.12
56.	भुनेड़	नगरोटा बागवां	कांगड़ा	0.81
57.	कथोग	दरंग स्थित पधर	मण्डी	0.18
58.	पूलन	भरमौर	चम्बा	0.33
59.	कुण्डलू	नालागढ़	सोलन	0.08
60.	थाचाधार	जंजैहली	मण्डी	0.14
61.	दाडो देवरिया	पछाड़	सिरमौर	0.11
62.	मैहढ़ी	करसोग	मण्डी	0.03
63.	चीमरेट	उदयपुर	लाहौल एवं स्पिति	0.06
64.	पांगाणा	करसोग	मण्डी	0.30
65.	बलोठ	मेहला	चम्बा	0.18
66.	रजेरा	मेहला	चम्बा	0.36
67.	रायपुर	भाटीयात	चम्बा	0.12
68.	बलेरा	भाटीयात	चम्बा	0.19
69.	होबार	भाटीयात	चम्बा	0.19

70.	ठाकरी मट्टी	सलूणी	चम्बा	0.37
71.	पन्जाई	सलूणी	चम्बा	0.19
72.	कांगल	नारकण्डा	शिमला	0.23
73.	थल्ली	थाली	चम्बा	0.21
74.	दाड़वा	धर्मपुर	सोलन	0.44
75.	बडागांव	नारकण्डा	शिमला	0.25
76.	नौणी मंजगांव	सोलन	सोलन	0.20
77.	जरड़ भटटी	कुल्लू	कुल्लू	0.17
78.	प्रीणी	नग्गर	कुल्लू	0.38
			योग	**22.80**

स्रोतः नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-11

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.2; पृष्ठ 12)

दुकानों के बकाया किराए का ब्यौरा

जिला परिषद्

(₹ लाख)

क्रमांक	जिला परिषद्/पंचायत समिति/ग्राम पंचायत का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	कुल्लू	2014-2016	9	1.18
2.	किन्नौर स्थित केलांग	2012-2016	6	0.56
3.	कांगड़ा	2014-2016	8	2.09
		योग (i)	**23**	**3.83**

पंचायत समिति

1.	बमसन	2014-2016	2	0.58
2.	चम्बा	2014-2017	2	0.19
3.	परागपुर	2002-2016	9	2.80
		योग (ii)	**13**	**3.57**

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम	अवधि	दुकानों की संख्या	राशि
1.	फतेहपुर	फतेहपुर	कांगड़ा	1989-2016	6	0.89
2.	धगोली	छोहारा	शिमला	2008-2016	1	0.25
3.	चढ़ियार	पंचरूखी	कांगड़ा	2010-2017	4	0.09
4.	संग्रह	संग्रह	सिरमौर	2011-2016	12	1.90

5.	सराहन	पछाड़	सिरमौर	2011-2016	4	0.31
6.	होबार	भटियात	चम्बा	2013-2016	1	0.17
7.	बड़ागांव	नारकण्डा	शिमला	2013-2016	4	0.21
8.	रप्पड़	इन्दौरा	कांगड़ा	2010-2016	12	0.07
9.	थाचाधार	जंजैहली	मण्डी	2015-2016	1	0.02
योग (iii)					**45**	**3.91**
सकल योग (i), (ii) तथा (iii)					**81**	**11.31**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-12

(संदर्भ परिच्छेद 2.2.3; पृष्ठ 12)

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मोबाईल टावर के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का ब्यौरा

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम	टावरों की संख्या	स्थापना का वर्ष	राशि
1.	मटेरनी	कुनिहार	सोलन	1	2006-07	0.25
2.	गियू	स्पिति स्थित काजा	लाहौल एवं स्पिति	1	2011-12	0.12
3.	थरोला	जुब्बल कोटखाई	शिमला	6	2008-09	1.17
4.	धराड़ा	रोहड़ू	शिमला	1	2008-16	0.20
5.	हिमरी	बसंतपुर	शिमला	2	2006-13	0.35
6.	मण्ढ़ोल	जुब्बल कोटखाई	शिमला	1	2008-09	0.20
7.	नाया	शिलाई	सिरमौर	1	2010-11	0.15
8.	कोना	लम्बागांव	कांगड़ा	1	2009-10	0.17
9.	धार	सदर मण्डी	मण्डी	7	2003-07	1.02
10.	बौर	चौपाल	शिमला	1	2009-10	0.05
11.	घंडालवी	घुमारवीं	बिलासपुर	3	2007-09	0.54
12.	जलेल	मशोबरा	शिमला	1	2015-16	0.04
13.	फतेहपुर	फतेहपुर	कांगड़ा	3	2004-08	0.40
14.	बटूही	ऊना	ऊना	2	2009-16	0.17
15.	बीटन	हरोली	ऊना	1	2008-09	0.08
16.	शमशी	कुल्लू	कुल्लू	1	2008-09	0.06
17.	लौट	निरमण्ड	कुल्लू	3	2006-12	0.52
18.	मुहान	आनी	कुल्लू	1	2009-10	0.17
19.	दुराह	निरमण्ड	कुल्लू	3	2010-13	0.16
20.	खसराला	बल्ह	मण्डी	1	2008-09	0.20
21.	ट्रोह	बल्ह स्थित मण्डी	मण्डी	1	2007-08	0.22
22.	सोरता	करसोग	मण्डी	2	2007-14	0.24
23.	सुरडवां	इन्दौरा	कांगड़ा	1	2008-09	0.20
24.	सकरोहा	बल्ह	मण्डी	1	2008-09	0.20
25.	संगहड़	बंजार	कुल्लू	1	2009-10	0.03
26.	धर्मपुर	धर्मपुर	मण्डी	1	2010-11	0.15
27.	बगली	धर्मशाला	कांगड़ा	1	2011-16	0.02
28.	पूलन	भरमौर	चम्बा	1	2006-07	0.12
29.	कुण्डलू	नालागढ़	सोलन	2	2005-06	0.58
30.	चम्बोह	बमसन	हमीरपुर	1	2007-08	0.05
31.	संग्रह	संग्रह	सिरमौर	2	2005-09	0.47
32.	खाला क्यार	संग्रह	सिरमौर	2	2006-08	0.44

33.	सराहन	पछाड़	सिरमौर	4	2006-08	1.08
34.	बलोठ	मेहला	चम्बा	1	2009-10	0.18
35.	रायपुर	भटियात	चम्बा	1	2013-14	0.02
36.	होबार	भटियात	चम्बा	1	2013-14	0.10
37.	पन्जेई	सलूणी	चम्बा	3	2007-09	0.42
38.	थल्ली	तीसा	चम्बा	1	2009-10	0.11
39.	बड़ागांव	नारकण्डा	शिमला	2	2004-06	0.62
40.	नौणी मंजगांव	सोलन	सोलन	1	2010-11	0.15
41.	जरड़ भुटटी	कुल्लू	कुल्लू	6	2006-13	0.51
42.	प्रीणी	नग्गर	कुल्लू	3	2005-14	0.32
			योग	**80**		**12.25**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-13

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 12)

निर्माण कार्यों को आरम्भ न किए जाने के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिला का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	बयय	राशि
1.	छनोटा	मण्डी	2011-12	1	0.20	-	0.20
2.	झबोला	बिलासपुर	2010-11	1	0.52	-	0.52
3.	बिक्रमवाग	सिरमौर	2015-16	2	2.25	-	2.25
4.	द्राविल	सिरमौर	2015-16	1	2.00	-	2.00
5.	आलमपुर	कांगड़ा	2015-16	2	1.25	-	1.25
6.	रिट	कांगड़ा	2006-07	3	0.50	-	0.50
7.	पपलाह	कांगड़ा	2010-16	3	1.44	-	1.44
8.	टुटू मंजठाई	शिमला	2014-15	8	7.00	-	7.00
9.	हिमरी	शिमला	2014-16	7	11.79	-	11.79
10.	गियू	स्पिति स्थित काजा	2015-16	3	3.50	-	3.50
11.	कोसरियां	बिलासपुर	2011-12	1	1.00	-	1.00
12.	मैहंढी	मण्डी	2010-11	1	1.00	-	1.00
13.	सनवाल	चम्बा	2010-15	8	2.11	-	2.11
14.	होबार	ऊना	2015-16	4	3.50	-	3.50
15.	सिहुंणी	कांगड़ा	2015-16	18	8.65	-	8.65
16.	नढोली	कांगड़ा	2012-15	3	2.40	-	2.40
17.	हटपंग	कांगड़ा	2013-14	-	0.93	-	0.93
18.	राचोली	शिमला	2014-15	1	1.00	-	1.00
19.	कुंडलू	सोलन	2012-15	3	0.65	-	0.65
20.	चम्बोह	हमीरपुर	2014-15	1	1.50	-	1.50
21.	दाडो देवरिया	सिरमौर	2015-16	4	5.00	-	5.00
22.	बड़ागांव	शिमला	2013-14	2	2.00	-	2.00

23.	भुलस्वांए	बिलासपुर	2015-16	6	5.11	-	5.11
24.	मल्यावर	बिलासपुर	--	1	1.21	-	1.21
25.	बहराल	सिरमौर	2012-13	1	0.30	-	0.30
26.	बैरी रजादियां	मण्डी	2015-16	5	3.50	-	3.50
27.	लरूह	कांगड़ा	2014-15	-	1.26	-	1.26
28.	सलवाड़	बिलासपुर	2014-15	1	3.40	-	3.40
			योग	91	74.97		74.97

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-14

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 13)

निर्माण कार्यों की अपूर्णता के कारण निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	जिला का नाम	अवधि	कार्यों की संख्या	प्राप्ति	व्यय	राशि
1.	सराहन	सिरमौर	2015-16	9	11.25	7.92	3.33
2.	धरमण	कांगड़ा	2015-16	1	2.50	1.60	0.90
3.	नैण	कांगड़ा	2015-16	-	22.32	7.98	14.34
4.	हीरा	ऊना	2014-15	1	8.00	6.00	2.00
5.	नैहरा	शिमला	2010-13	2	2.99	1.52	1.47
6.	हिमरी	शिमला	2010-11	1	1.47	0.75	0.72
7.	कोटी बौंच	सिरमौर	2012-16	8	34.07	27.14	6.93
8.	द्राविल	सिरमौर	2015-16	7	11.31	4.18	7.13
9.	बैरी रजादियां	बिलासपुर	2015-16	10	8.20	3.99	4.21
10.	घंडालवी	बिलासपुर	2011-13	2	1.20	0.19	1.01
11.	भुलस्वांए	बिलासपुर	2015-16	9	17.81	9.12	8.69
12.	आलमपुर	कांगड़ा	2015-16	1	0.60	0.11	0.49
13.	कोना	कांगड़ा	2013-14	2	10.97	2.09	8.88
14.	नाया	सिरमौर	2012-16	8	26.70	15.73	10.97
15.	बहराल	सिरमौर	2011-13	2	1.75	0.81	0.94
16.	भोगपुर	सोलन	2014-15	3	3.08	1.40	1.68
17.	होबार	ऊना	2015-16	3	8.61	0.60	8.01
18.	सिहुंणी	कांगड़ा	2015-16	1	0.70	0.08	0.62
19.	हार	कांगड़ा	2015-16	-	37.96	13.45	24.51
20.	गुरनवाड़	कांगड़ा	2011-14	2	0.77	0.20	0.57
21.	खरोटा	कांगड़ा	2013-14	1	1.50	1.00	0.50
22.	संग्रह	सिरमौर	2013-16	5	22.67	21.20	1.47
23.	खाला क्यार	सिरमौर	2014-16	10	16.75	13.51	3.24
24.	मैंहढी	मण्डी	2012-15	5	15.21	13.47	1.74

25.	शिवा	सिरमौर	2013-15	6	10.67	6.36	4.31
26.	दाडवां	सोलन	2011-15	5	9.50	6.41	3.09
27.	यांगपा	किन्नौर	2013-15	7	29.99	21.38	8.62
28.	बौर	शिमला	2014-15	1	0.75	0.38	0.37
29.	बाड़ी	कांगड़ा	2013-15	-	6.02	3.23	2.79
30.	भकेड़ा	हमीरपुर	2014-16	1	1.00	0.33	0.67
31.	टुटू मंजठाई	शिमला	2010-16	5	3.82	1.51	2.31
32.	धरोग	हमीरपुर	2013-16	1	0.77	0.19	0.58
33.	पलोग	सोलन	2011-16	4	7.80	0.66	7.14
			योग	**123**	**338.71**	**194.49**	**144.23**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-15

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.3; पृष्ठ 13)

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

जिला परिषद्

(₹ लाख)

क्रमांक	**जिला परिषद्**	**अवधि**	**अवधि**	**व्यय**	**शेष**
1.	सोलन	2013-2016	1,230.62	1,132.00	98.62
	योग (i)		**1,230.62**	**1,132.00**	**98.62**

पंचायत समिति

क्रमांक	**पंचायत समति का नाम**	**जिला**	**अवधि**	**अवधि**	**व्यय**	**शेष**
1.	कुनिहार	सोलन	2013-2016	155.46	127.97	27.49
2.	अम्ब	ऊना	2013-2016	48.88	38.59	10.29
3.	बमसन स्थित टौणी देवी	हमीरपुर	2013-2016	16.71	14.02	2.69
			योग (ii)	**221.05**	**180.58**	**40.47**

ग्राम पंचायत

क्रमांक	**ग्राम पंचायत का नाम**	**खण्ड**	**जिला**	**अवधि**	**प्राप्ति**	**व्यय**	**शेष**
1.	पलोग	कुनिहार	सोलन	2011-16	6.64	1.96	4.68
2.	धगोली	छोहारा	शिमला	2011-16	6.04	5.59	0.45
3.	भकेड़ा	भौरंज	हमीरपुर	2011-16	13.26	8.81	4.45
4.	बैरी रजादियां	सदर	मण्डी	2011-16	9.13	6.26	2.87
5.	घंडालवी	घुमारवीं	घुमारवीं	2011-16	9.30	6.23	3.07
6.	भुलस्वांए	घुमारवीं	बिलासपुर	2011-16	2.51	1.96	0.55
7.	कोना	लम्बागांव	कांगड़ा	2013-16	18.62	15.08	3.54

8.	नाया	शिलाई	सिरमौर	2011-16	7.39	3.79	3.60
9.	बरहाल	पांवटा साहिब	सिरमौर	2011-16	3.96	3.52	0.44
10.	द्राविल	शिलाई	सिरमौर	2011-16	8.21	7.78	0.43
11.	बिक्रमवाग	नाहन	सिरमौर	2011-15	2.81	2.30	0.51
12.	भोगपुर	नालागढ़	सोलन	2011-16	8.59	7.40	1.19
13.	कोटी बौंच	शिलाई	सिरमौर	2011-16	7.27	5.95	1.32
14.	मटेरनी	कुनिहार	सोलन	2011-16	24.93	16.19	8.74
15.	संगहड	बंजार	कुल्लू	2011-16	2.15	1.74	0.41
16.	रोपड़ी	चौंतड़ा	मण्डी	2011-16	2.07	0.52	1.55
17.	मतेहड़	चौंतड़ा	मण्डी	2011-16	2.22	0.39	1.83
18.	नौणी मंजगांब	सोलन	सोलन	2013-16	1.49	0.37	1.12
19.	पन्जेई	सलूणी	चम्बा	2011-16	3.19	0.86	2.33
20.	ठाकरी मट्टी	सलूणी	चम्बा	2011-16	6.99	3.17	3.82
21.	थल्ली	तीसा	चम्बा	2011-16	5.11	3.40	1.71
22.	बलोठ	मेहला	चम्बा	2011-16	2.04	1.63	0.41
23.	पांगना	करसोग	मण्डी	2011-16	3.32	1.14	2.18
24.	चीमरेट	उदयपुर	लाहौल एवं स्पिति	2011-16	1.91	0.44	1.47
25.	मैंहढी	करसोग	मण्डी	2011-16	5.08	0.45	4.63
26.	दाडो देवरिया	पछाड़	सिरमौर	2013-16	2.82	1.83	0.99
27.	संगड़ह	संगदह	सिरमौर	2011-16	5.56	3.69	1.87
28.	चम्बोह	बमसन	हमीपुर	2011-16	9.72	6.56	3.16
29.	कुंडलू	नालागढ़	सोलन	2011-16	14.53	1.66	12.87
30.	कशमीरपुर	नालागढ़	सोलन	2011-16	4.63	4.51	0.12
31.	पूलन	भरमौर	चम्बा	2011-16	1.85	0.38	1.47
32.	कथोग	दरंग स्थित पधर	मण्डी	2011-16	2.07	1.82	0.25
33.	नाढोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2013-16	2.19	1.55	0.64
34.	जगजीत नगर	धर्मपुर	सोलन	2014-16	1.38	1.10	0.28

35.	जरड़ भुटटी	कुल्लू	कुल्लू	2011-16	4.59	3.38	1.21
36.	धाऊगी	बंजार	कुल्लू	2011-16	8.77	7.34	1.43
37.	प्रीणी	कुल्लू	नग्गर	2011-16	3.01	1.10	1.91
				योग (iii)	**225.35**	**141.85**	**83.50**
				सकल योग (i), (ii) तथा (iii)	**1,677.02**	**1,454.43**	**222.59**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-16

(संदर्भ परिच्छेद 2.3.4 (i) तथा (ii); पृष्ठ 14)

14वें वित्त आयोग के अंतर्गत निधियों के अवरोधन का ब्यौरा

विकास कार्य शुरू नहीं हुए

(₹ लाख)

क्रमांक	पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	शिवा	पावंटा साहिब	सिरमौर	2015-16	5.19	-	5.19
2.	कथोग	दरंग स्थित पधर	मण्डी	2015-16	4.38	-	4.38
3.	चम्बोह	बमसन (टौणी देवी)	हमीरपुर	2015-16	7.77	-	7.77
4.	संग्रह	संग्रह	सिरमौर	2015-16	8.60	-	8.60
5.	दाडो देवरिया	पछाड़	सिरमौर	2015-16	8.68	-	8.68
6.	खाला क्यार	संग्रह	सिरमौर	2015-16	12.65	-	12.65
7.	सराहन	पछाड़	सिरमौर	2015-16	4.60	-	4.60
8.	मैंहढी	करसोग	मण्डी	2015-16	5.90	-	5.90
9.	छोबार	अम्ब	ऊना	2015-16	8.38	-	8.38
10.	लांगणा	चौंतड़ा	मण्डी	2015-16	6.88	-	6.88
11.	सिहुंणी	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2015-16	8.17	-	8.17
12.	नढोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2015-16	10.08	-	10.08
13.	हटपंग	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-16	5.98	-	5.98
14.	बगली	धर्मशाला	कांगड़ा	2015-16	7.86	-	7.86
15.	चढ़ियार	पंचरूखी	कांगड़ा	2015-16	8.74	-	8.74
16.	रोपड़ी	चौंतड़ा	मण्डी	2015-16	3.25	-	3.25
17.	मावा कोला	गगरेट	ऊना	2015-16	3.23	-	3.23
18.	मटेहर	चौंतड़ा	मण्डी	2015-16	4.48	-	4.48
19.	ऑयल	गगरेट	ऊना	2015-16	3.05	-	3.05
20.	थड़ा	बंगाणा	ऊना	2015-16	3.45	-	3.45
21.	सलवाड़	झण्डुता	बिलासपुर	2015-16	8.86	-	8.86
22.	भत्तला	धर्मशाला	कांगड़ा	2015-16	16.85	-	16.85
23.	खलियारा	रैत	कांगड़ा	2015-16	13.35	-	13.35
24.	रीड़कमर	रैत	कांगड़ा	2015-16	6.02	-	6.02

25.	रंगड़	सुजानपुर	हमीरपुर	2015-16	1.78	-	1.78
26.	पनोह	सुजानपुर	हमीरपुर	2015-16	3.28	-	3.28
27.	जिलहन	दरंग स्थित पधर	मण्डी	2015-16	4.81	-	4.81
28.	लोहडर	बिझडी	हमीरपुर	2015-16	2.41	-	2.41
29.	शमशी	कुल्लू	कुल्लू	2015-16	8.58	-	8.58
30.	लढोली	अम्ब	ऊना	2015-16	11.96	-	11.96
31.	खलवाहन	जंजैहली	मण्डी	2015-16	8.12	-	8.12
32.	सोझा	सुंदरनगर	मण्डी	2015-16	4.79	-	4.79
33.	ट्रोह	बल्ह स्थित मण्डी	मण्डी	2015-16	6.85	-	6.85
34.	बरतो	सुंन्दरनगर	मण्डी	2015-16	4.47	-	4.47
35.	झबोला	झण्डुता	बिलासपुर	2015-16	13.00	-	13.00
36.	टीहरा	बंगाणा	ऊना	2015-16	2.89	-	2.89
37.	कोसरियां	झण्डुता	बिलासपुर	2015-16	14.43	-	14.43
38.	भकेड़ा	भौरंज	हमीरपुर	2015-16	7.03	-	7.03
39.	धरोग	बमसन	हमीरपुर	2015-16	9.65	-	9.65
40.	बैरी रजादियां	सदर	बिलासपुर	2015-16	7.27	-	7.27
41.	घंडालवी	घुमारवीं	बिलासपुर	2015-16	5.07	-	5.07
42.	भुलस्वांए	घुमारवीं	बिलासपुर	2015-16	8.10	-	8.10
43.	ऊरूह	फतेहपुर	कांगड़ा	2015-16	8.76	-	8.76
44.	पपलाह	लम्बागांव	कांगड़ा	2015-16	6.99	-	6.99
45.	पट्टा	भौरंज	हमीरपुर	2015-16	4.45	-	4.45
46.	मल्यावर	घुमारवीं	बिलासपुर	2015-16	4.03	-	4.03
47.	धार	सदर मण्डी	मण्डी	2015-16	6.98	-	6.98
48.	पंडोह	सदर मण्डी	मण्डी	2015-16	7.96	-	7.96
49.	रिट	लम्बागांव	कांगड़ा	2015-16	5.15	-	5.15
50.	कोना	लम्बागांव	कांगड़ा	2015-16	9.30	-	9.30
51.	बिक्रमवाग	नाहन	सिरमौर	2015-16	10.88	-	10.88
52.	भोगपुर	नालागढ़	सोलन	2015-16	15.74	-	15.74
53.	आलमपुर	लम्बागांव	कांगड़ा	2015-16	11.11	-	11.11
योग					**392.24**	-	**392.24**

विकास कार्य शुरू हुए लेकिन पुरे नहीं हुए

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड	जिला	अवधि	प्राप्ति	व्यय	शेष
1.	सुरडवां	इंदौरा	कांगड़ा	2015-16	25.89	1.10	24.79
2.	रप्पड़	इंदौरा	कांगड़ा	2015-16	12.45	3.47	8.98
3.	कुलाहन	नूरपुर	कांगड़ा	2015-16	8.09	2.56	5.53
4.	घोडब	नगरोटा बगवां	कांगड़ा	2015-16	7.93	1.32	6.61
5.	सनवाल	तीसा	चम्बा	2015-16	8.14	5.00	3.14
योग					**62.50**	**13.45**	**49.05**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-17

(संदर्भ परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 16)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भुगतानों की अवमुक्ति में विलम्ब का ब्यौरा

(₹ लाख)

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	खण्ड का नाम	जिला का नाम	अवधि	दिनों में देरी	राशि
1.	घंडालवी	घुमारवीं	बिलासपुर	2011-12	15 से 83	5.97
2.	भुलस्वांए	घुमारवीं	बिलासपुर	--	21 से 165	1.23
3.	लरूह	फतेहपुर	कांगड़ा	2014-16	15 से 120	21.10
4.	पपलाह	लम्बागांव	कांगड़ा	2014-15	6 से 115	2.78
5.	मल्यावर	घुमारवीं	बिलासपुर	2011-12	15 से 127	4.12
6.	रिट	लम्बागांव	कांगड़ा	2014-15	9 से 26	0.98
7.	आलमपुर	लम्बागांव	कांगड़ा	--	15 से 90	1.79
8.	कोना	लम्बागांव	कांगड़ा	2015-16	1 से 178	6.61
9.	नाया	शिलाई	सिरमौर	2014-15	9 से 26	4.07
10.	द्राविल	शिलाई	सिरमौर	2014-15	8 से 19	2.15
11.	बिक्रमवाग	नाहन	सिरमौर	2014-15	15 से 75	2.70
12.	भोगपुर	नालागढ़	सोलन	2015-16	77	0.12
13.	लडोली	अम्ब	ऊना	2013-16	1 से 117	24.27
14.	चौआर	अम्ब	ऊना	2012-14	6 से 16	1.77
15.	सिहुंणी	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2014-16	1 से 13	0.51
16.	नढोली	नगरोटा सूरियां	कांगड़ा	2014-16	2 से 15	3.19

17.	हटपंग	फतेहपुर	कांगड़ा	2014-16	15 से 90	13.88
18.	संग्रह	संग्रह	सिरमौर	2013-14	5 से 104	9.40
19.	खाला क्यार	संग्रह	सिरमौर	2014-16	45 से 120	6.31
20.	सराहन	पछाड़	सिरमौर	2014-15	15 से 170	2.74
21.	शिवा	पावंटा साहिब	सिरमौर	2014-15	7 से 94	2.56
					योग	**118.25**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाइयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-18

(संदर्भ परिच्छेद 4.2.1; पृष्ठ 25)

2013-16 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक व्यय की विवरणी

2013-14

नगर निगम **(₹ लाख)**

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	बजट का अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1.	शिमला	18,477.58	7,682.23	10,795.35
	योग (i)	**18,477.58**	**7,682.23**	**10,795.35**

नगर परिषद्

1.	नाहन	1,133.75	609.74	524.01
2.	पालमपुर	412.96	195.93	217.03
3.	बद्दी	842.04	295.63	546.41
4.	परवाणू	853.35	760.10	93.25
5.	कांगड़ा	742.03	322.35	419.67
6.	नूरपुर	235.99	201.13	34.86
7.	चम्बा	1,042.43	478.47	563.96
8.	ऊना	651.47	316.49	334.98
9.	बिलासपुर (नैना देवी)	431.71	102.62	329.09
10.	संतोषगढ़	183.27	159.49	23.78
11.	पांवटा साहिब	1,553.85	319.86	1,233.99
	योग (ii)	**8,082.85**	**3,761.81**	**4,321.03**

नगर पंचायत

1.	गगरेट	202.07	114.90	87.17
2.	जोगिन्द्रनगर	104.79	104.11	0.68
3.	दौलतपुर	202.51	118.48	84.03
4.	तलाई	476.98	74.61	402.37
	योग (iii)	**986.35**	**412.10**	**574.25**
	सकल योग (i), (ii) तथा (iii)	**27,546.78**	**11,856.14**	**15,690.63**

2014-15

नगर निगम

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	बजट का अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1.	शिमला	12,652.75	7,604.11	5,048.64
	योग (i)	**12,652.75**	**7,604.11**	**5,048.64**

नगर परिषद्

1.	नाहन	1,269.59	610.32	659.27
2.	पालमपुर	435.99	267.84	168.15
3.	बद्दी	3,466.42	374.15	3,092.27
4.	परवाणू	993.45	944.81	48.64
5.	कांगड़ा	816.59	338.70	477.89
6.	नूरपुर	410.76	331.09	79.67
7.	चम्बा	1,155.39	553.15	602.24
8.	ऊना	864.87	304.05	560.82
9.	बिलासपुर (नैना देवी)	487.61	172.46	315.15
10.	संतोषगढ़	427.56	249.44	178.12
11.	पांवटा साहिब	1,993.08	758.16	1,234.92
	योग (ii)	**12,321.31**	**4,904.17**	**7,417.14**

नगर पंचायत

1.	गगरेट	237.23	117.86	119.37
2.	जोगिन्द्रनगर	318.72	148.44	170.23
3.	दौलतपुर	256.39	137.18	119.21
4.	तलाई	517.89	81.27	436.62
	योग (iii)	**1,330.23**	**484.75**	**845.43**
	सकल योग (i), (ii) पृष्ठ (iii)	**26,304.29**	**12,993.03**	**13,311.21**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

2015-16

नगर निगम **(₹ लाख)**

क्रमांक	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	बजट का अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (+)/ आधिक्य (-)
1.	शिमला	12,172.30	11,722.43	449.87
	योग (i)	**12,172.30**	**11,722.43**	**449.87**

नगर परिषद्

1.	नाहन	1,466.41	553.89	912.52
2.	पालमपुर	565.29	265.47	299.83
3.	बद्दी	3,843.22	1,532.99	2,310.24
4.	परवाणू	705.27	567.98	137.29
5.	कांगड़ा	908.72	443.32	465.40
6.	नूरपुर	635.59	270.66	382.93
7.	चम्बा	1,127.75	605.17	522.58
8.	ऊना	1,152.09	439.87	712.22
9.	बिलासपुर (नैना देवी)	469.39	149.98	319.41

10.	संतोषगढ़	392.17	231.11	161.06
11.	पांवटा साहिब	2,048.80	925.05	1,123.75
	योग (ii)	**13,314.70**	**5,985.49**	**7,347.23**

नगर पंचायत

1.	गगरेट	335.66	197.33	138.33
2.	जोगिन्द्रनगर	397.12	305.36	91.76
3.	दौलतपुर	238.78	118.09	120.69
4.	तलाई	537.15	87.41	449.74
	योग (iii)	**1,508.71**	**708.19**	**800.52**
	सकल योग (i), (ii) तथा (iii)	**26,995.71**	**18,416.11**	**8,597.62**

परिशिष्ट-19

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.1 पृष्ठ 26)

नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के सम्बंध में बकाया गृहकर का ब्यौरा

(₹ लाख)

नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	अप्रैल 2015 तक अथशेष	2015-16 के दौरान मांग	कुल मांग	2015-16 के दौरान संग्रहण	छूट	मार्च 2016 तक बकाया राशि
1.	चम्बा	66.04	49.59	115.63	27.61	-	88.02
2.	नूरपुर	24.69	6.27	30.96	3.26	-	27.70
3.	परवाणू	65.46	186.54	252.00	182.71	-	69.29
4.	नाहन	318.23	43.99	362.23	13.86	-	348.37
5.	पालमपुर	50.46	40.31	90.77	43.73	-	47.04
6.	संतोषगढ़	40.83	4.59	45.42	3.64	-	41.78
7.	नैना देवी जी	20.18	7.11	27.29	4.89	-	22.40
8.	ऊना	32.85	39.15	72.01	35.16	-	36.84
	योग (i)	**618.74**	**377.55**	**996.31**	**314.86**	**-**	**681.44**

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	अप्रैल 2015 तक अथशेष	2015-16 के दौरान मांग	कुल मांग	2015-16 के दौरान संग्रहण	छूट	मार्च 2016 तक बकाया राशि
1.	दौलतपुर चौक	22.39	5.45	27.84	3.29	-	24.55
2.	गगरेट	20.68	7.96	28.64	6.54	1.03	21.07
3.	जोगिन्द्रनगर	57.76	4.47	62.23	4.82	-	57.41
4.	तलाई	26.27	5.18	31.45	4.64	0.21	26.60
	योग (ii)	**127.10**	**23.06**	**150.16**	**19.29**	**1.24**	**129.63**
	सकल योग (i) तथा (ii)	**745.84**	**400.61**	**1146.47**	**334.15**	**1.24**	**811.07**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-20

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.2; पृष्ठ 27)

2015-16 की अवधि के दौरान दुकानों/बूथों/स्टालों में किराए की अवसूली का ब्यौरा

नगर निगम (₹ लाख)

क्रमांक	नगर निगम का नाम	01 अप्रैल 2015 तक अथशेष	मांग उठाई	योग	31 मार्च 2016 के दौरान संग्रहण	31 मार्च 2016 तक बकाया राशि
1.	शिमला	405.76	220.10	625.86	210.22	415.64
	योग (i)	**405.76**	**220.10**	**625.86**	**210.22**	**415.64**
नगर परिषद्						
1.	कांगड़ा	12.47	9.48	21.95	5.81	16.14
2.	परवाणू	3.16	1.86	5.02	0.89	4.13
3.	बद्दी	15.17	6.43	21.60	8.25	13.35
4.	नाहन	43.94	59.99	103.93	58.89	45.04
5.	पावंटा साहिब	10.76	28.02	38.78	26.35	12.43
6.	पालमपुर	48.70	23.25	71.95	22.08	49.87
7.	संतोषगढ़	11.79	7.82	19.61	7.75	11.86
8.	नैना देवी जी	30.52	30.00	60.52	20.88	39.64
9.	ऊना	29.24	48.16	77.40	44.72	32.68
10.	नूरपुर	13.88	10.02	23.90	5.82	18.08
11.	चम्बा	54.02	38.57	92.59	32.87	59.72
	योग (ii)	**273.65**	**263.60**	**537.25**	**234.31**	**302.94**
नगर पंचायत						
1.	दौलतपुर चौक	1.92	14.99	16.91	14.98	1.93
2.	गगरेट	6.58	6.81	13.39	6.75	6.64
3.	जोगिन्द्रनगर	2.47	2.61	5.08	2.90	2.18
4.	तलाई	0.69	0.32	1.01	0.28	0.73
	योग (iii)	**11.66**	**24.73**	**36.39**	**24.91**	**11.48**
	सकल योग (i), (ii) तथा (iii)	**691.07**	**508.43**	**1,199.50**	**469.44**	**730.06**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-21

(संदर्भ परिच्छेद 4.5.3; पृष्ठ 26)

शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र के अंतर्गत मोबाईल टावरों के प्रतिष्ठापन/नवीनीकरण हेतु शुल्क की अवसूली का ब्यौरा

नगर निगम (₹ लाख)

क्रमांक	नगर निगम का नाम	स्थापना का वर्ष	अवधि जिसके लिए राशि लंबित है	टावरों की संख्या	राशि
1.	शिमला	---	---	177	19.58
			योग (i)	**177**	**19.58**

नगर परिषद्

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम	स्थापना का वर्ष	अवधि जिसके लिए राशि लंबित है	टावरों की संख्या	राशि
1.	नाहन	--	2011-12 से 2015-16	9	2.50
2.	कांगड़ा	--	--	9	1.81
3.	परवाणू	--	2011-12 से 2015-16	8	1.58
4.	पांवटा साहिब	2014-16	2014-15 से 2015-16	8	0.63

5.	पालमपुर	--	2014-15 से 2015-16	1	0.14
6.	संतोषगढ़	2004-08	2004-05 से 2007-08	4	1.28
7.	नैना देवी जी	--	2007-08 से 2015-16	2	0.37
8.	ऊना	--	2008-09 से 2015-16	15	1.47
9.	नूरपुर	2006-15	2012-13 से 2015-16	3	1.21
10.	चम्बा	2009-10	2009-10 से 2015-16	6	0.56
			योग (ii)	**65**	**11.55**

नगर पंचायत

क्रमांक	नगर पंचायत का नाम	स्थापना का वर्ष	अवधि जिसके लिए राशि लंबित है	टावरों की संख्या	राशि
1.	दौलतपुर चौक	2005-09	2006-07 से 2010-11	3	0.91
2.	गगरेट	---	---	3	0.90
3.	जोगिन्द्रनगर	2005-08	2013-14 से 2015-16	7	0.99
4.	तलाई	---	---	3	0.13
			योग (iii)	**16**	**2.93**
			सकल योग (i), (ii) तथा (iii)	**258**	**34.06**

स्रोत: नमूना जांच की गई इकाईयों द्वारा अपूरित आंकड़े

परिशिष्ट-22

(संदर्भ परिच्छेद 4.7; पृष्ठ 31)

जनवरी 2017 तक अधिकारियों को दिए गए बकाया अग्रिमों के बयानों का ब्यौरा, जिन्हें समायोजित या पुनिर्नमित नहीं किया गया

नगर परिषद्, चम्बा **(₹ लाख)**

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	अग्रिम का उद्देश्य	अग्रिम देय तिथि	राशि	अग्रिम के समायोजन/प्रतिपूर्ति में विलम्ब (मासिक)
1.	श्री विवेक कुमार, लिपिक	चुनाव व्यय	12.12.2005	2,000	132 (11 साल)
		लोहड़ी उत्सव 2012 का आयोजन	05.01.2012	15,000	59
		लोहड़ी उत्सव 2013 का आयोजन	11.01.2013	32,500	47
		नगर निगम की गाड़ियों का आवागमन तथा कुत्तों का बंध्याकरण	16.12.2014	6,000	24
		सूही मेला 2015 का उत्सव	08.04.2015	80,000	20
		चमुंडा यात्रा 2015 का व्यय	28.04.2015	50,000	19
		सूही मेला 2016 का उत्सव	05.04.2016	1,00,000	8
		चामुंडा यात्रा 2016 का खर्च	06.04.2016	50,000	8
			योग (i)	**3,35,500**	
2.	श्री विलियम, लिपिक (सेवानिवृत्त)	घास खरीद हेतु	26.04.1994	500	271 (22 साल)
		शिमला हेतु यात्रा भत्ता	01.12.1999	1,000	204
		शिमला हेतु यात्रा भात्ता	23.01.2004	1,000	154
		शिमला हेतु यात्रा भात्ता	16.10.2004	2,000	145
		शिमला हेतु यात्रा भात्ता	29.01.2005	800	142
		चारकोल की खरीद	21.11.2008	8,000	96
		मवेशी गाड़ी (पशु वाहन) की व्यवस्था तथा घास खरीद हेतु	17.03.2009	5,000	93
		शिमला में ई0वी0एम0 मशीन के संग्रहण हेतु	16.06.2010	10,000	78
		एस0एफ0सी0सी0 2011 की व्यवस्था	03.01.2012	5,000	59
		मिंजर मेला 2012	26.07.2012	2,10,000	52
		मिंजर मेला 2012	04.08.2012	2,00,000	51
		मिंजर मेला 2012	08.08.2012	3,50,000	51
		मिंजर मेला 2012	18.09.2012	59,000	50
		मिंजर मेला 2012	28.02.2013	55,322	45
		शिमला हेतु यात्रा भत्ता	07.09.2016	10,000	3
		शिमला हेतु यात्रा भत्ता	25.10.2016	10,000	1
			योग (ii)	**9,27,622**	
3.	बी0एस0एन0एल0 सिविल सर्कल-II, शिमला-9	कैफेटेरिया, चम्बा के समीप पार्किंग स्थल के निर्माण हेतु	31.05.2013	1,00,000	42
			योग (iii)	**1,00,000**	
4.	श्री विक्टर भिष्टी	नगर निगम वाहनों की मरम्मत	06.01.2015	10,000	23
		उपर्युक्त समान	04.09.2015	8,000	15
		कुत्तों का बंध्याकरण	03.02.2015	5,000	12
			योग (iv)	**23,000**	
5.	श्री ललित कुमार (अधिशाषी अधिकारी)	शिमला में मीटिंग	07.08.2015	15,000	16
			योग (v)	**15,000**	
6.	श्री राजेश चौधरी, (कनिष्ट अभियंता)	चारे की खरीदी	16.11.2015	8,500	1
			योग (vi)	**8,500**	
			सकल योग (i), (ii), (iii), (iv) (v) तथा (vi)	**14,09,622**	

नगर परिषद्, बद्दी

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	अग्रिम का उद्देश्य	अग्रिम देय तिथि	राशि	अग्रिम के समायोजन/प्रतिपूर्ति में विलम्ब (मासिक)
7.	श्री राम करण, लिपिक	स्टेशनरी (लेखन सामग्री) की खरीद	19.05.2012	20,000	52
		फिनाईल की खरीद	02.06.2012	15,000	53
		स्टेशनी की खरीद	17.05.2013	15,000	40
		नियमानुसार कचरे के निपटारे का अद्यतन	17.05.2013	2,000	40
8.	श्री शरीफ मोहम्द, कनिष्ठ अभियंता	वाहनों की मरम्मत	06.10.2012	10,000	47
		सफाई-सामग्री की खरीद	20.06.2014	5,000	27
		पौधों की खरीद	21.08.2014	35,000	25
9.	श्री प्रदीप कुमार, लिपिक	वाहनों की मरम्मत	21.08.2014	5,000	26
		सफाई-सामग्री की खरीद	27.09.2014	20,000	24
			योग (vii)	**1,27,000**	
			सकल योग (i), (ii), (iii), (iv) (v), (vi) तथा (vii)	**15,36,622**	

नगर परिषद्, ऊना

10.	अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, बी0 एण्ड आर0 डिविजन, ऊना	कामकाजी महिला होस्टल ऊना की बाउंड्री वाल के निर्माण हेतु	मई 1988	39,528	344 (28 साल)
		कामकाजी महिला होस्टल ऊना (चौथी किश्त) की बाउंड्री वाल के निर्माण हेतु	मई 1988	2,42,670	344 (29 साल)
		36 स्ट्रीट लाईट्स बिलों की किश्तों के लिए	फरवरी 1991	25,000	322 (26 साल)
		36 लाईट्स बिंदुओं की किश्तों के लिए	अप्रैल 1991	39,924	320 (26 साल)
			योग (viii)	**3,47,122**	
			सकल योग (i), (ii), (iii), (iv) (v), (vi), (vii) तथा (viii)	**18,83,744**	

©भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
2016
www.cag.gov.in